परिपत्र सं. 257/03/2026- जीएसटी

फ़ा.संख्या सीबीआईसी-20001/2/2026-जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी पॉलिसी विंग

कमरा संख्या-16039, कर्तव्य भवन

नई दिल्ली, 26.10.2026

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर

सभी प्रधान महानिदेशक / महानिदेशक ।

महोदया/महोदय,

विषय: जीएसटी पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश- के संबंध में।

जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की यह स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि उसके पंजीकरण आवेदन का शीघ्रता से निस्तारण किया जाए और उसे बिना किसी विलंब अथवा परेशानी के जीएसटी पंजीकरण प्रदान किया जाए। हालाँकि, कुछ मामलों में आवेदकों को जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये कठिनाइयाँ विभिन्न आधारों पर पंजीकरण आवेदन को अस्वीकार किए जाने अथवा आवेदक द्वारा फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 में अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी के संबंध में कर अधिकारियों द्वारा प्रश्न/स्पष्टीकरण किए जाने या अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाने के कारण पंजीकरण आवेदन के निस्तारण में होने वाले विलंब के रूप में सामने आई हैं। यद्यपि पंजीकरण आवेदन के निस्तारण के दौरान उचित सावधानी एवं समुचित जांच करना आवश्यक है, ताकि बेईमान एवं धोखाधड़ी करने वाले तत्वों द्वारा बिना किसी वास्तविक अंतर्निहित आपूर्ति के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को आगे हस्तांतरित करने के उद्देश्य से जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने की संभावना को रोका जा सके, तथापि, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले वास्तविक आवेदक बिना किसी अनुचित असुविधा के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर सकें।

1.2 जीएसटी पंजीकरण आवेदनों के विश्लेषण, जिसमें आवेदन अस्वीकार किए जाने के कारणों तथा उनकी प्रक्रिया के दौरान उठाई गई आपत्तियों/प्रश्नों का अध्ययन शामिल है, से यह स्पष्ट होता है कि आवेदन में होने वाली देरी या अस्वीकृति प्रायः कुछ कमियों के कारण होती है। इन कमियों में

आवश्यक जानकारी या दस्तावेज़ प्रस्तुत न करना, गलत, अपूर्ण या परस्पर विरोधाभासी विवरण देना, अथवा ऐसे दस्तावेज़ अपलोड करना शामिल है जो स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य न हों। इस प्रकार की कमियाँ सामान्यतः आवेदक के पहचान संबंधी विवरण, व्यवसाय के मुख्य स्थान के प्रमाण, व्यवसाय की संवैधानिक संरचना से संबंधित विवरण तथा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पहचान संबंधी विवरण के संबंध में देखी जाती हैं।

1.3 यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि सक्षम अधिकारी द्वारा पंजीकरण आवेदन की समुचित जांच पंजीकरण प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने तथा प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं, जिनमें कुछ बेईमान लोगों द्वारा अन्य व्यक्तियों की पहचान का उपयोग करते हुए, उनकी जानकारी के साथ या बिना उनकी जानकारी के, फर्जी जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का धोखाधड़ीपूर्वक हस्तांतरण करने के उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की सुविधा का दुरुपयोग किया गया है। इस प्रकार की कदाचारपूर्ण गतिविधियाँ न केवल सरकार को भारी राजस्व हानि पहुँचाती हैं, बल्कि ईमानदार करदाताओं के हितों के भी प्रतिकूल हैं, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित होती है। वास्तविक एवं ईमानदार करदाताओं के हितों की रक्षा करने तथा ऐसे बेईमान लोगों द्वारा फर्जी पंजीकरण प्राप्त किए जाने की संभावना को कम करने के उद्देश्य से, सीजीएसटी नियम, 2017 के प्रावधानों में समय-समय पर संशोधन कर जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित बनाया गया है।

1.4 यद्यपि कर अधिकारियों के लिए पंजीकरण आवेदन के प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश बोर्ड द्वारा निर्देश संख्या 03/2025-जीएसटी, दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के माध्यम से जारी किए जा चुके हैं, लेकिन यह अनुभव किया गया है कि आवेदकों के लिए भी इसी प्रकार के दिशा-निर्देश जारी किए जाना आवश्यक है। इससे वे फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 में पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करते समय आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज़ सही, पूर्ण एवं उचित रूप से उपलब्ध करा सकेंगे। फलस्वरूप, पंजीकरण आवेदन के प्रक्रिया के दौरान कर अधिकारियों द्वारा आवेदकों से स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त दस्तावेज़ मांगने की आवश्यकता में कमी आएगी तथा वास्तविक एवं योग्य आवेदकों के पंजीकरण आवेदनों का निस्तारण अधिक शीघ्रता एवं दक्षता के साथ किया जा सकेगा।

2. तदनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विधि के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने तथा जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 168(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी करता है।

3. पंजीकरण आवेदन

3.1 जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन (गैर-निवासी करयोग्य व्यक्ति, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 51 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए बाध्य व्यक्ति, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52 के अंतर्गत कर संग्रह करने के लिए बाध्य व्यक्ति तथा भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में गैर-करयोग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता को ऑनलाइन सूचना एवं डेटाबेस तक पहुँच या पुनर्प्राप्ति सेवाएँ प्रदान करने वाले व्यक्ति के मामलों को छोड़कर) आवेदक द्वारा जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 में प्रस्तुत किया जाना है।

3.1.1 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 51 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती (TDS) करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति तथा धारा 52 के अंतर्गत स्रोत पर कर संग्रह (TCS) करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, फॉर्म जीएसटी आरईजी -07 में जीएसटीपंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। गैर-निवासी कर योग्य व्यक्तियों को पंजीकरण के लिए फॉर्म जीएसटी आरईजी -09 में आवेदन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति अथवा भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता को ऑनलाइन सूचना एवं डेटाबेस एक्सेस या पुनर्प्राप्ति सेवाएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति, जीएसटी पंजीकरण के लिए फॉर्म जीएसटी आरईजी -10 में आवेदन कर सकता है।

3.1.2 आगामी अनुच्छेदों में दिए गए दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त, पंजीकरण आवेदनों को दाखिल करने एवं उनके प्रसंस्करण से संबंधित सामान्यतः सामने आने वाली समस्याओं, जिनमें प्रक्रियात्मक समय-सीमाएँ तथा करदाताओं की विशिष्ट परिस्थितियाँ शामिल हैं, पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक सेट भी तैयार किया गया है, जिसे इस परिपत्र के अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न किया गया है। इन एफएक्यू का उद्देश्य अस्पष्टताओं को कम करना तथा करदाताओं द्वारा नियमों के सुचारू अनुपालन को सुगम बनाना है, जिससे क्षेत्रीय अधिकारियों से बार-बार मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता कम हो सके। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण

आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेजों की एक जाँच-सूची इस परिपत्र के अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न की गई है।

3.2 पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना

आवेदक जीएसटी पोर्टल के होम पेज पर सेवा > पंजीकरण > नवीन पंजीकरण पर क्लिक करके पंजीकरण आवेदन तक पहुँच सकता है। पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदकों को चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु विस्तृत मैनुअल जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। इसे जीएसटी पोर्टल के होम पेज पर सहायता और करदाता सुविधाएँ > जीएसटी ज्ञान पोर्टल > जीएसटी के साथ पंजीकरण पर क्लिक करके देखा जा सकता है।

3.2.1 फॉर्म जीएसटी आरईजी -01 में भाग-क शामिल होता है, जिसके माध्यम से अस्थायी संदर्भ संख्या (TRN) उत्पन्न की जाती है, तथा भाग-ख में विस्तृत आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। इसमें व्यवसाय की संरचना, पंजीकरण के कारण, पूर्व में उपलब्ध पंजीकरण विवरण, परिसर एवं व्यवसायिक गतिविधि की प्रकृति, प्रवर्तक/निदेशक/कर्ता/आपूर्ति संबंधी विवरण, बैंक खाते के विवरण, व्यवसाय के मुख्य स्थान, राज्य-विशिष्ट जानकारी, वस्तुओं/सेवाओं का वर्गीकरण (एचएसएन/एसएसी कोड) तथा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के विवरण जैसे आवश्यक विवरण सम्मिलित होते हैं। करदाता जीएसटी पोर्टल पर सीधे इस प्रारूप को भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के प्रसंस्करण में होने वाली देरी से बचने के लिए सभी अनिवार्य विवरणों को पूर्ण एवं सही रूप से दर्ज किया जाना सुनिश्चित करना आवश्यक है।

3.2.2 फॉर्म जीएसटी आरईजी -01 के भाग-क से संबंधित विवरण:

आवेदक को फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 के भाग-क को भरते समय पैन तथा वैधानिक नाम का सही विवरण उपलब्ध कराना आवश्यक है। व्यवसाय का वैधानिक नाम वही होना चाहिए जो आयकर विभाग द्वारा जारी पैन में अंकित है तथा निगमित कंपनियों के मामले में वही नाम होना चाहिए जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र में उल्लिखित है। स्वामित्व प्रतिष्ठान के मामले में, वैधानिक नाम के स्थान पर मालिक का नाम दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवेदक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 के भाग-क में अपने व्यवसाय के मुख्य स्थान से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा जिले का सही विवरण उपलब्ध कराया गया है।

आवेदक को यह भी सलाह दी जाती है कि यदि ई-मेल पता एवं मोबाइल नंबर उसके पैन से जुड़े हुए हैं, तो फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 के भाग-क में उसी ई-मेल पते एवं मोबाइल नंबर का विवरण उपलब्ध कराया जाए।

3.3 फॉर्म जीएसटी आरईजी -01 के भाग-ख से संबंधित विवरण:

3.3.1 व्यवसाय से संबंधित विवरण:

फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 के भाग-ख में, आवेदक को व्यवसाय की सही संवैधानिक संरचना का चयन करना आवश्यक है, जैसे– स्वामित्व प्रतिष्ठान, साझेदारी फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ़), प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी), ट्रस्ट, व्यक्तियों का संघ, स्थानीय प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) आदि। इसके अतिरिक्त, आवेदक को अनुलग्नक-II में उल्लिखित साझेदारी फर्म के मामले में साझेदारी विलेख की प्रति; सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय, स्थानीय प्राधिकरण, वैधानिक निकायों आदि के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र /गठन का प्रमाण; और एचयूएफ़ के मामले में कर्ता से संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करना होगा।

3.3.2 जो आवेदक विशेष आर्थिक क्षेत्र (आरईजी) इकाई अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (आरईजी) डेवलपर के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन कर रहा है, उसे संबंधित श्रेणी में स्पष्ट रूप से "हाँ" विकल्प का चयन करना होगा तथा, जैसा भी मामला हो, संबंधित एसईज़ेड इकाई अथवा एसईज़ेड डेवलपर का सही नाम अंकित करना होगा। इसके अतिरिक्त, आवेदक को संबंधित अनुमोदन आदेश [अनुमोदन पत्र/ अनुमति पत्र] का क्रमांक, अनुमोदन आदेश की तिथि, उसकी वैधता अवधि तथा अनुमोदन प्रदान करने वाले प्राधिकारी का पदनाम भी सही-सही दर्ज करना होगा। साथ ही, ऐसे मामलों में आवेदक को उक्त अनुमोदन आदेश की प्रति भी आवेदन के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

3.3.3 यदि आवेदक पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करते समय कंपोज़िशन योजना का विकल्प चुनना चाहता है, तो उसे कंपोज़िशन से संबंधित विकल्प में स्पष्ट रूप से "हाँ" का चयन करना चाहिए। और, "पंजीकृत व्यक्ति की श्रेणी " शीर्षक के अंतर्गत कंपोज़िशन योजना की योग्यता के अनुसार सही श्रेणी का चयन भी करना चाहिए। इसी प्रकार, यदि आवेदक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और/या

नियम 14क का विकल्प चुनना चाहता है, तो उसे संबंधित फ़ील्ड के सामने स्पष्ट रूप से "हाँ" का चयन करना चाहिए।

3.3.4 आवेदक को यह भी सलाह दी जाती है कि वह पोर्टल पर उपलब्ध ड्रॉप-डाउन सूची से पंजीकरण प्राप्त करने का सही कारण चुनें, जैसे– थ्रेशोल्ड लिमिट पार करना, स्वैच्छिक पंजीकरण, व्यवसाय के संरचना में परिवर्तन, अंतर-राज्यीय आपूर्ति, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) या 9(4) के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं के प्राप्तकर्ता के रूप में कर का भुगतान करने की देयता, आदि।

3.4. प्रवर्तकों/साझेदारों का विवरण:

3.4.1 एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय के मामले में, आवेदक को मालिक का विवरण प्रदान करना होगा, जिसमें उसका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, लिंग, पैन, आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो), निदेशक पहचान संख्या (यदि लागू हो), आवासीय पता तथा फर्म/कंपनी में पदनाम/स्थिति आदि शामिल हैं। साझेदारी फर्म / सीमित दायित्व साझेदारी के मामले में, प्रबंध साझेदार तथा सभी अन्य साझेदारों का विवरण प्रदान करना आवश्यक है। एचयूएफ़ के मामले में, कर्ता का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। कंपनी के मामले में, प्रबंध निदेशक तथा सभी पूर्णकालिक निदेशकों का विवरण देना आवश्यक है। जबकि संघ के मामले में, प्रबंध समिति के सभी सदस्यों का विवरण तथा ट्रस्ट के मामले में, बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टी के सभी सदस्यों का विवरण आवेदक द्वारा प्रदान किया जाना आवश्यक है। कंपनी के निदेशकों तथा एलएलपी के नामित साझेदारों के मामले में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) प्रदान करना अनिवार्य है। इन सभी व्यक्तियों का विवरण, संलग्नक-II में निर्दिष्ट संबंधित श्रेणी के अनुसार, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3.4.2 आवेदक को पंजीकरण आवेदन के साथ, जहाँ लागू हो, निम्नलिखित व्यक्तियों के हाल के फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे:

(i) एकल स्वामित्व के मामले में - मालिक।

(ii) साझेदारी फर्म / एलएलपी के मामले में - प्रबंध/ अधिकृत/ नामित साझेदार तथा सभी अन्य साझेदारों के फोटोग्राफ। ((सभी पार्टनर, जिसमें मैनेजिंग पार्टनर भी शामिल है, लेकिन संख्या दस तक सीमित है - अगर फर्म में पार्टनर की कुल संख्या दस से ज़्यादा है।

(iii) एचयूएफ़ के मामले में - कर्ता ।

(iv) कंपनी के मामले में - प्रबंध निदेशक या अधिकृत व्यक्ति ।

(v) ट्रस्ट के मामले में - प्रबंध ट्रस्टी ।

(vi) व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय के मामले में - अध्यक्ष सहित प्रबंध समिति के सभी सदस्यों के फोटोग्राफ लेकिन संख्या दस तक सीमित है (अगर सदस्यों की संख्या दस से ज़्यादा है।

(vii) स्थानीय प्राधिकरण या वैधानिक निकाय के मामले में -सीईओ या उसके समकक्ष अधिकारी।

(viii) अन्य के मामले में - प्रभारी व्यक्ति।

3.4.3 फोटो अपलोड करते समय आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड की गई फोटो संबंधित व्यक्ति की ही हो तथा वह किसी समूह की फोटो का हिस्सा न हो। फोटो में संबंधित व्यक्ति का पूरा सामने का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। यह एक हाल ही में खींची गई रंगीन फोटो होनी चाहिए, जिसकी गुणवत्ता और स्पष्टता उचित हो। अपलोड की गई फोटो किसी भी पहचान पत्र, जैसे कि पैन**,** आधार**,** ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि की प्रतिलिपि नहीं होनी चाहिए, चाहे वह पूर्ण रूप में हो या क्रॉप किए गए रूप में। फोटो अपलोड करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि केवल संबंधित आवेदक/व्यक्ति की ही फोटो अपलोड की जाए। गलत फोटो अपलोड करने पर कर अधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है या पंजीकरण हेतु किया गया आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

3.5. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण:

3.5.1 आवेदक को प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा अन्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं, यदि कोई हों, का विवरण प्रदान करना आवश्यक है। इस विवरण में उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, लिंग, पैन, आधार संख्या, यदि उपलब्ध हो, निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन), (जहाँ लागू हो), आवासीय पता, पद/स्थिति आदि शामिल होंगे। पंजीकरण आवेदन में अधिकतम दस (10) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का विवरण प्रदान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आवेदन के साथ इन प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के फोटोग्राफ भी अपलोड करना आवश्यक है।

3.5.2 इसके अतिरिक्त, मालिक/ साझेदारों/ निदेशक मंडल/ ट्रस्ट/ प्रबंधन समिति आदि द्वारा जारी एक प्राधिकरण पत्र, जिसमें उक्त व्यक्ति को संस्था का प्राधिकृत प्राधिकृत नियुक्त किया गया हो, उसे उक्त प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की नियुक्ति के प्रमाण के रूप में अपलोड करना अनिवार्य है।

3.5.3 उपरोक्त पैरा 3.4 में उल्लिखित विवरण प्रदान करने तथा फोटो एवं दस्तावेज़ जमा करने संबंधी दिशा-निर्देश प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं पर भी समान रूप से लागू होंगे।

3.6 प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण:

आवेदक पंजीकरण आवेदन में अपने अधिकृत प्रतिनिधि का विवरण प्रदान कर सकता है, यदि कोई हो, । यदि ऐसा प्राधिकृत प्रतिनिधि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 48 के प्रावधानों के अंतर्गत नामांकित जीएसटी कर प्रैक्टिशनर है, तो उस जीएसटी कर प्रैक्टिशनर की नामांकन आईडी प्रदान करना आवश्यक होगा। यदि अधिकृत प्रतिनिधि जीएसटी कर प्रैक्टिशनर के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति है, तो उसके संबंध में नाम, पदनाम , मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, पैन आदि का विवरण प्रदान करना होगा।

3.7 व्यवसाय के मुख्य स्थान का विवरण:

3.7.1 व्यवसाय के मुख्य स्थान (पीपीओबी) वह प्रमुख स्थान है जहाँ संबंधित राज्य में व्यवसाय संचालित किया जाता है और जहाँ के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन किया जाता है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण आवेदन में मुख्य पीपीओबी का विवरण भरते समय अत्यंत सावधानी बरतें, क्योंकि पीपीओबी से संबंधित गलत, अपूर्ण या अपर्याप्त जानकारी अथवा दस्तावेज़ प्रस्तुत करना पंजीकरण आवेदन के अस्वीकृत होने या कर अधिकारियों द्वारा प्रश्न उठाए जाने के प्रमुख कारणों में से एक है।

3.7.2 आवेदक को पीपीओबी का पूर्ण एवं स्पष्ट पता प्रदान करना होगा। इसमें निम्नलिखित विवरण, जहाँ लागू हों, अवश्य शामिल किए जाएँ, लेकिन सिर्फ़ इन्हीं तक सीमित नहीं: भवन/फ्लैट/दुकान/प्लॉट संख्या; खसरा/खाता संख्या (जहाँ लागू हो); सड़क/गली; मोहल्ला/उप-मोहल्ला; गाँव/कस्बा/शहर; तहसील /ब्लॉक (जहाँ लागू हो); ज़िला; पिन कोड; और आस-पास के लैंडमार्क (अगर कोई हों)। विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए कि दिए गए पते में सही पिन कोड अंकित हो। साथ ही, जहाँ तक संभव हो, पीपीओबी के अक्षांश एवं देशांतर का विवरण भी उपलब्ध कराया जाए। यह भी उल्लेखनीय है कि

आवेदन भरते समय पोर्टल पर उपलब्ध मानचित्र में मार्कर को सही स्थान पर खींचकर करके भी पीपीओबी के सही अक्षांश एवं देशांतर का चयन किया जा सकता है। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पीपीओबी का पता बहुत विशिष्ट और सटीक पता होना चाहिए। पता में संबंधित दुकान, मकान, परिसर, फ्लैट आदि तक स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। केवल खसरा संख्या, सड़क, मोहल्ला, कॉलोनी, गाँव या शहर जैसी सामान्य जानकारी देना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। यदि पीपीओबी का पता स्पष्ट एवं सटीक रूप से उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो कर अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है या जहाँ भौतिक सत्यापन लागू हो, वहाँ क्षेत्रीय अधिकारी की सत्यापन रिपोर्ट प्रतिकूल आ सकती है। आवेदन पत्र में दिया गया पता, अनुच्छेद 3.8 में वर्णित एवं आवेदन के साथ अपलोड किए गए व्यवसाय के मुख्य स्थान के प्रमाण में उल्लिखित पते से पूर्णतः मेल खाना चाहिए।

3.7.3 अधिकार-क्षेत्र का विवरण:

आवेदक को पोर्टल पर उपलब्ध ड्रॉप-डाउन मेनू से अपने द्वारा प्रदान किए गए पिन कोड के अनुसार सही राज्य अधिकार-क्षेत्र तथा केंद्र अधिकार-क्षेत्र का चयन भी करना आवश्यक है। इससे पंजीकरण आवेदन के प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा, जो कि आवेदन को सही अधिकार-क्षेत्र वाले कर प्राधिकरण को स्थानांतरित करने अथवा भौतिक सत्यापन हेतु एआरएन को पुनः आवंटित करने की आवश्यकता के कारण हो सकती है। इसके अतिरिक्त, आवेदक को अपना सही ई-मेल पता तथा मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना चाहिए। आवेदक को उक्त परिसर से संचालित किए जाने वाले व्यवसाय की प्रकृति, जैसे– विनिर्माण, थोक व्यापार, खुदरा व्यापार, सेवा प्रदाता, गोदाम, डिपो आदि का चयन भी पोर्टल पर उपलब्ध ड्रॉप-डाउन मेनू से करना चाहिए।

3.8 व्यवसाय के मुख्य स्थान (पीपीओबी) के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:

3.8.1 पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करते समय व्यवसाय के मुख्य स्थान के प्रमाण के रूप में अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 के साथ संलग्न है तथा इस परिपत्र के साथ अनुलग्नक-III के रूप में भी संलग्न की गई है। उक्त परिसर पर विभिन्न प्रकार के कब्जे की स्थिति के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों का विवरण आगामी अनुच्छेदों में विस्तार से समझाया गया है।

3.8.2 स्वामित्व वाले परिसर

3.8.2.1 यदि संबंधित परिसर का मालिक स्वयं आवेदक है, तो उस परिसर को आवेदक की अपनी संपत्ति माना जाएगा । यदि परिसर आवेदक के नाम पर न होकर उसके परिवार के किसी सदस्य, जैसे– माता-पिता, पति/पत्नी, भाई-बहन आदि, अथवा किसी साझेदार, निदेशक आदि के नाम पर है, तो ऐसे परिसर को संबंधित संस्था/आवेदक की अपनी संपत्ति नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में, आवेदक को "परिसर की प्रकृति " के अंतर्गत **"** स्वामित्व**"** विकल्प का चयन नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर, संबंधित परिसर की वास्तविक स्थिति के अनुसार " सहमति", "किराए/पट्टे पर" अथवा "साझा" विकल्प का चयन करना चाहिए।

3.8.2.2 जिन मामलों में पीपीओबी आवेदक के नाम पर है तथा उसका स्वामित्व स्वयं आवेदक के पास है, ऐसे मामलों में आवेदक को उस परिसर के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में संबंधित दस्तावेज़ की स्पष्ट एवं आसानी से पढे जाने योग्य प्रति अपलोड करनी होगी। इस संबंध में, आवेदक उस स्थान के लिए अपने नाम पर जारी नवीनतम संपत्ति कर रसीद; या नगरपालिका खाता की प्रति; या संपत्ति पहचान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ की प्रति; या उक्त परिसर के संबंध में नवीनतम विद्युत बिल की प्रति; या उक्त परिसर के संबंध में नवीनतम जल बिल की प्रति प्रस्तुत कर सकता है । उपरोक्त दस्तावेज़ आवेदक के नाम पर होने चाहिए तथा उनमें उक्त परिसर का पूर्ण एवं सही पता अंकित होना चाहिए। यह पता पंजीकरण आवेदन में आवेदक द्वारा उल्लेखित पते के समान होना आवश्यक है।

3.8.2.3 यदि संबंधित परिसर आवेदक के दिवंगत पूर्वज के नाम पर है तथा उस परिसर के संबंध में आवेदक के नाम पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो इस संबंध में 'अनुलग्नक - IV' में इस आशय का निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र अपलोड करना होगा। इसके साथ ही, आवेदक को दिवंगत पूर्वज का मृत्यु प्रमाण-पत्र की स्पष्ट एवं पठनीय प्रति; तथा अनुच्छेद 3.8.2.2 में उल्लिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, जो या तो दिवंगत पूर्वज के नाम पर अथवा आवेदक के नाम पर हो तथा उस परिसर के पते से संबंधित हो, जिसे पीपीओबी अथवा एपीओबी के रूप में घोषित किया जाना है।

3.8.3 किराए पर अथवा पट्टे पर लिए गए परिसर:

(क) जहाँ पट्टा/किराया अनुबंध उपलब्ध हो:

i. उन परिसरों के संबंध में, जो आवेदक द्वारा किराए या पट्टे पर लिए गए हैं और जिनके लिए पंजीकृत किराया/पट्टा अनुबंध उपलब्ध है, आवेदक को वैध पंजीकृत किराया/पट्टा अनुबंध की स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य प्रति अपलोड करनी आवश्यक है। ऐसे मामलों में, जहाँ संबंधित राज्य/क्षेत्र के कानूनों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किराया/पट्टा विलेख का पंजीकरण अनिवार्य है– चाहे वह किराए/पट्टे पर लिए गए परिसर के उपयोग के आधार पर हो अथवा किराया/पट्टा निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए हो, ऐसी स्थिति में आवेदक को वैध पंजीकृत किराया/पट्टा अनुबंध की स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य प्रति अपलोड करनी होगी।

ii. ऐसे मामलों में, जहाँ किराया / पट्टा अनुबंध का पंजीकरण आवश्यक नहीं है, आवेदक को किराया/ पट्टा अनुबंध की स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य प्रति अपलोड करनी होगी। इसके साथ ऊपर अनुच्छेद 3.8.2 में उल्लिखित दस्तावेज़ों में से कोई एक दस्तावेज़, मकान मालिक/पट्टादाता के नाम पर, उस पते के अनुरूप अपलोड करना होगा जिसे पीपीओबी के रूप में घोषित किया जाना है।

iii. ऐसे मामलों में जहाँ उक्त किराए/ पट्टा पर लिए गए परिसर का बिजली या पानी का कनेक्शन आवेदक किरायेदार के नाम पर है, वहाँ आवेदक को अपने नाम पर जारी नवीनतम बिजली बिल या पानी के बिल की स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें उक्त परिसर का पूरा पता स्पष्ट रूप से अंकित हो। इसके साथ एक वैध किराया अनुबंध भी प्रस्तुत करना होगा। ऐसे दस्तावेज़ों को पट्टादाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले परिसर के प्रमाण के स्थान पर स्वीकार किया जा सकता है।

(ख) जहाँ पट्टा /किराया समझौता उपलब्ध नहीं है:

किराए/ पट्टा पर लिए गए परिसर के संबंध में, जहाँ किराया/ पट्टा अनुबंध उपलब्ध नहीं है, वहाँ आवेदक को इस संबंध में अनुलग्नक V के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा-पत्र अपलोड करना होगा। इसके साथ, उक्त परिसर पर किरायेदार आवेदक के कब्जे/अधिकार को दर्शाने वाला दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करना होगा, जैसे कि उक्त परिसर का नवीनतम बिजली बिल या पानी के बिल की स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य प्रति, जिसमें किरायेदार का नाम तथा उक्त परिसर का पूरा और संपूर्ण पता स्पष्ट रूप से अंकित हो।

3.8.4 सहमति के आधार पर परिसर:

3.8.4.1 जहाँ परिसर का स्वामित्व परिवार के किसी सदस्य, जैसे पति/पत्नी, माता-पिता, भाई/बहन आदि, या साझेदार/निदेशक आदि के पास है और उक्त परिसर आवेदक को सहमति के आधार पर उपलब्ध कराया गया है, वहाँ आवेदक को संबंधित परिसर के मालिक द्वारा सादे कागज़ पर विधिवत हस्ताक्षरित सहमति पत्र, जो अनुलग्नक VI में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार हो, अपलोड करना होगा। इसके साथ, ऊपर अनुच्छेद 3.8.2 में उल्लिखित दस्तावेज़ों में से किसी एक दस्तावेज़ की स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य प्रति भी अपलोड करनी होगी। यह दस्तावेज़ सहमति देने वाले व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए तथा उस पते के अनुरूप होना चाहिए जिसे पीपीओबी के रूप में घोषित किया जाना है। सहमति पत्र में सहमति देने वाले व्यक्ति और आवेदक का विवरण, उस संपत्ति/परिसर का विवरण जिसके संबंध में सहमति दी जा रही है, तथा सहमति देने वाले व्यक्ति और आवेदक के बीच संबंध स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। ऐसे मामलों में, जहाँ परिसर का एक से अधिक व्यक्तियों के साथ सह-स्वामित्व है, वहाँ सभी सह-मालिकों की सहमति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

3.8.5 सह-कार्यस्थल:

यदि आवेदक ने सह-कार्यस्थल को पीपीओबी के रूप में घोषित किया है, तो आवेदक को सह-कार्यस्थल प्रदाता के साथ किए गए सदस्यता या अधिभोग अनुबंध की स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य प्रति अपलोड करनी होगी। इस अनुबंध में अनुबंध की अवधि, आवेदक को आवंटित विशिष्ट सुइट/केबिन/डेस्क नंबर और उक्त परिसर सह-कार्यस्थल प्रदाता के स्वामित्व में है, अथवा सह-कार्यस्थल प्रदाता ने उक्त परिसर संपत्ति के मालिक से किराए/ पट्टा पर लिया है, का विवरण स्पष्ट रूप से होना आवश्यक है। यदि उक्त परिसर सह-कार्यस्थल प्रदाता के स्वामित्व में है, तो आवेदक को ऊपर अनुच्छेद 3.8.2 में उल्लिखित दस्तावेज़ों में से किसी एक दस्तावेज़ की प्रति भी अपलोड करनी होगी। यह दस्तावेज़ सह-कार्यस्थल प्रदाता के नाम पर होना चाहिए तथा उस पते के अनुरूप होना चाहिए जिसे पीपीओबी के रूप में घोषित किया जाना है। यदि उक्त परिसर सह-कार्यस्थल प्रदाता द्वारा संपत्ति के मालिक से किराए/ पट्टा पर लिया गया है, तो आवेदक को सह-कार्यस्थल प्रदाता और संपत्ति के मालिक के बीच किए गए वैध पंजीकृत पट्टा/किराया अनुबंध की प्रति अपलोड करनी होगी।

3.8.6 एसईज़ेड (SEZ) / एसईज़ेड विकासकर्ता:

यदि व्यवसाय का मुख्य स्थान, विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है अथवा आवेदक विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता है, तो एसईज़ेड के विकास आयुक्त द्वारा जारी वैध अनुमोदन पत्र की स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य प्रति अपलोड करना आवश्यक है।

3.8.7 यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पंजीकरण हेतु आवेदन के एक भाग के रूप में पोर्टल पर ऐसे किसी भी दस्तावेज़ को अपलोड करते समय, आवेदक को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट, पूर्ण तथा पूरी तरह से पढ़ने योग्य हों।

3.9 व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान का विवरण :

ऐसे मामलों में, जहाँ आवेदक को व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान का विवरण देना आवश्यक है, वहाँ पंजीकरण वाले संबंधित राज्य में स्थित ऐसे सभी व्यवसाय के अतिरिक्त स्थानों का विवरण प्रदान किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि व्यवसाय के मुख्य स्थान या व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान के विवरण में संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ वही होंगे, जो पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में व्यवसाय के मुख्य स्थान के लिए निर्धारित किए गए हैं तथा संलग्न सूची (अनुलग्नक III) में विस्तृत रूप से दिए गए हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दूरसंचार टावर तथा बैंक के स्वचालित टेलर मशीन, जो बिना कर्मचारियों के चलने वाले प्रतिष्ठान हैं, उन्हें जीएसटी पंजीकरण आवेदन में पीपीओबी या एपीओबी के रूप में घोषित करना आवश्यक नहीं है।

3.10 राज्य-विशिष्ट जानकारी:

कुछ राज्यों में आवेदक को पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय आवेदन में राज्य-विशिष्ट जानकारी भी प्रदान करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम और मध्य प्रदेश राज्यों में पंजीकरण के लिए किए गए आवेदन के संबंध में, व्यवसाय के मुख्य स्थान वाले परिसर के बिजली कनेक्शन से संबंधित जानकारी देना अनिवार्य है। इसमें बिजली बोर्ड या यूनिट का नाम तथा उपभोक्ता खाता संख्या/बिजली उपभोक्ता संख्या जैसी जानकारी शामिल है। आवेदक यह सुनिश्चित कर सकता है कि जिस राज्य में पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस राज्य के लिए विशेष रूप से आवश्यक ऐसी सभी जानकारियाँ सही-सही प्रदान की गई हों तथा, यदि कोई सहायक दस्तावेज़ आवश्यक हों, तो उन्हें भी साथ में प्रस्तुत किया गया हो।

3.11 बैंक खाते का विवरण:

सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 10क के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसे बैंक खातों का विवरण प्रस्तुत करे, जो आवेदक/पंजीकृत व्यक्ति के नाम पर हों और आवेदक/पंजीकृत व्यक्ति के पैन के आधार पर प्राप्त किए गए हों। यह विवरण पंजीकरण प्रदान किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, या फॉर्म जीएसटीआर-1/ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जावक आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने से पहले, इनमें से जो भी पहले हो, प्रस्तुत करना आवश्यक है। यद्यपि पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करते समय बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य नहीं है, फिर भी आवेदक को सलाह दी जाती है कि यदि पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय उसका बैंक खाता उपलब्ध है, तो वह अपने पंजीकरण आवेदन में अपने बैंक खाते का विवरण अवश्य प्रदान करे। इस विवरण में खाता संख्या, खाते का प्रकार , बैंक का नाम, आईएफ़एससी कोड, शाखा का पता शामिल होता है। उक्त बैंक खाता अनिवार्य रूप से आवेदक के नाम पर होना चाहिए और आवेदक के पैन के आधार पर प्राप्त किया गया होना चाहिए। आवेदक पंजीकरण आवेदन में एक से अधिक बैंक खातों का विवरण भी प्रदान कर सकता है। आवेदक को उक्त बैंक खाते/खातों से संबंधित दस्तावेज़ भी अपलोड करने होंगे। जैसे कि बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति, या बैंक स्टेटमेंट के संबंधित पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति, या रद्द किए गए चेक की स्कैन की गई प्रति, जिसमें प्रोपराइटर/व्यावसायिक इकाई का नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफ़एससी तथा बैंक शाखा का विवरण आदि स्पष्ट रूप से अंकित हो।

4. ऐसे मामलों में, जहाँ पंजीकरण के लिए आवेदन ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा रहा है, जिसका पूर्व पंजीकरण, उसी पैन पर प्राप्त किया गया था, और जिसे सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 21क के उप-नियम (2) या उप-नियम (2क) के प्रावधानों के अनुसार निलंबित किया गया था, अथवा सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 22 के प्रावधानों के अनुसार रद्द किया गया था, वहाँ आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे स्वतः निलंबित या रद्द किए गए पंजीकरण से संबंधित उसके सभी देय रिटर्न दाखिल किए जा चुके हों, जिसमें लागू होने की स्थिति में फॉर्म जीएसटीआर-10 में अंतिम रिटर्न भी शामिल है, तथा उक्त स्वतः निलंबित/रद्द पंजीकरण के संबंध में कोई देयता लंबित न हो।

5. पंजीकरण आवेदन की प्रक्रिया:

5.1 सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे मामलों में जहाँ आवेदक ने पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करते समय सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 8 के उप-नियम (4क) में निर्दिष्ट आधार संख्या के प्रमाणीकरण का विकल्प चुना है और सफलतापूर्वक अपना आधार प्रमाणीकरण करा लिया है, वहाँ पंजीकरण आवेदन पर आवेदन जमा करने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। ऐसे मामलों में जहाँ आवेदक ने आधार संख्या के प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुना है, या वह आधार संख्या का प्रमाणीकरण कराने में विफल रहता है; अथवा जहाँ कॉमन पोर्टल पर डेटा विश्लेषण और जोखिम मानदंडों के आधार पर आवेदक के व्यवसाय के स्थानों का भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक पाया जाता है; या जहाँ सक्षम अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से, व्यवसाय के स्थानों का भौतिक सत्यापन कराना उचित समझता है, वहाँ पंजीकरण आवेदन को आवेदन जमा करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर कार्रवाई किया जाना है। इस स्थिति में, व्यवसाय के स्थान का भौतिक सत्यापन सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 25 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। अतः, आवेदक के हित में यह है कि वह सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 8 के उप-नियम (4क) में निर्दिष्ट आधार संख्या के प्रमाणीकरण का विकल्प चुने और अपना आधार प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक पूरा करे, ताकि उसके पंजीकरण आवेदन का यथाशीघ्र कार्रवाई की जा सके।

5.2 यह भी उल्लेख किया जाता है कि सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 8 के उप-नियम (4क) के प्रथम एवं द्वितीय परंतुक के अनुसार, ऐसे मामलों में जहाँ आवेदक ने आधार संख्या के प्रमाणीकरण का विकल्प चुना है, आवेदक की पहचान सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध डेटा विश्लेषण एवं जोखिम मानदंडों के आधार पर बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण के लिए की जा सकती है। इसके अंतर्गत आवेदक का फोटोग्राफ लिया जाएगा तथा पंजीकरण हेतु आवेदन में आवेदक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रतियों का सत्यापन, इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र पर किया जाएगा। ऐसे मामलों में, जहाँ आवेदक ने आधार संख्या के प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुना है, उसे फोटोग्राफ लिए जाने तथा पंजीकरण हेतु आवेदन में उसके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रतियों के सत्यापन के उद्देश्य से सुविधा केंद्र पर जाना आवश्यक होगा। ऐसे मामलों में, पंजीकरण के लिए आवेदन केवल उक्त प्रावधानों के अनुसार सफल सत्यापन पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। अतः ऐसे मामलों में आवेदक के हित में यह है कि वह निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुविधा केंद्र पर उपर्युक्त प्रमाणीकरण/सत्यापन की प्रक्रिया समय पर पूर्ण कर ले।

5.3 छोटे करदाता, जो मुख्य रूप से अपंजीकृत व्यक्तियों को आपूर्ति करते हैं, अथवा पंजीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्तियों के संबंध में आईटीसी हस्तांतरित करने के उद्देश्य से प्रति माह ₹2.5 लाख से कम राशि के कर चालान जारी करते हैं, सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 14क के अंतर्गत सरल पंजीकरण का लाभ उठा सकते हैं। वे फॉर्म जीएसटीआर आरईजी-01 के अंतर्गत जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय प्रति माह ₹2.5 लाख से कम राशि का आईटीसी हस्तांतरित करने का विकल्प चुन सकते हैं। नियम 14क के अंतर्गत पंजीकरण प्रणाली द्वारा 3 कार्य दिवसों के भीतर स्वतः प्रदान कर दिया जाता है। इसी प्रकार, नियम 9क के अंतर्गत जोखिम-आधारित मानदंडों और डेटा विश्लेषण के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण प्रदान किए जाने हेतु प्रणाली द्वारा चिन्हित आवेदकों को भी आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 3 कार्य दिवसों के भीतर प्रणाली द्वारा स्वतः पंजीकरण प्रदान कर दिया जाता है।

5.4 जहाँ आवेदन में कमी पाई जाती है, चाहे वह आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए अपूर्ण या परस्पर विरोधी विवरण, सूचना अथवा दस्तावेजों के कारण हो; अथवा इस कारण हो कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज पढ़ने योग्य नहीं हैं, स्पष्ट नहीं हैं या उनमें व्यक्ति की पहचान/पूरा पता आदि जैसे पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ सक्षम अधिकारी केवल निम्नलिखित मामलों में ही आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर, फॉर्म जीएसटीआर आरईजी -03 में नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण, सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है:

i. जहाँ कोई दस्तावेज़ अपूर्ण या पढ़ने योग्य नहीं है, वहाँ सक्षम अधिकारी उसी दस्तावेज़ की पूर्ण या पढ़ने योग्य प्रति प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

ii. जहाँ व्यवसाय के स्थान का पता आवेदक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ से मेल नहीं खाता है, अथवा जहाँ अपलोड किया गया दस्तावेज़ उक्त व्यवसाय स्थल के पते के वैध प्रमाण के रूप में प्रतीत नहीं होता है, वहाँ उचित अधिकारी पते के विवरण की पुष्टि करने के लिए अनुलग्नक-IV में दिए गए दस्तावेज़ों की सूची के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

iii. जहाँ व्यवसाय के स्थान का पता अपूर्ण या अस्पष्ट है, वहाँ उचित अधिकारी संबंधित दस्तावेज़ी प्रमाण के साथ पते का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

5.4.1 यह भी देखा गया है कि कभी-कभी अनावश्यक दस्तावेज़ इस प्रकार की आपत्तियाँ/प्रश्न उठाकर माँगे जाते हैं, जैसे कि आवेदक/प्रबंध निदेशक /प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आवासीय पता उस शहर या राज्य में नहीं है, जहाँ पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है; उद्यम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की माँग करना; अथवा यह आपत्ति उठाना कि पंजीकरण आवेदन में उल्लिखित गतिविधियाँ संबंधित परिसर से संचालित नहीं की जा सकती हैं, आदि। जबकि पंजीकरण आवेदनों की जाँच करते समय प्रश्न उठाने अथवा अतिरिक्त दस्तावेज़ माँगने की स्थिति में, पंजीकरण आवेदनों को निपटाने वाले अधिकारियों को अनावश्यक दस्तावेज़ नहीं माँगने चाहिए और न ही ऐसी कोई अनुमान-आधारित आपत्ति/प्रश्न उठाना चाहिए, जो पंजीकरण आवेदन के प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक न हो।

5.4.2 सक्षम अधिकारी, ऊपर केई अनुच्छेद 5.4 में उल्लेखित फॉर्म जीएसटी आरईजी -03 में आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस उन मामलों में जारी कर सकता है, जहाँ आवेदन को प्रणाली द्वारा व्यवसाय के स्थान के भौतिक सत्यापन के लिए चिन्हित नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में जहाँ आवेदन को प्रणाली द्वारा व्यवसाय के स्थान के भौतिक सत्यापन के लिए चिन्हित किया गया है, अथवा जहाँ सक्षम अधिकारी, आयुक्त द्वारा अधिकृत ऐसे अधिकारी की स्वीकृति से, जो सहायक आयुक्त के पद से नीचे के पद का न हो, व्यवसाय के स्थान का भौतिक सत्यापन आवश्यक समझता है, वहाँ उक्त नोटिस, आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

5.5 आवेदक को उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर फॉर्म जीएसटी आरईजी -04 में अपेक्षित स्पष्टीकरण, सूचना अथवा दस्तावेज़ प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके पश्चात, सक्षम अधिकारी को आवेदक द्वारा फॉर्म जीएसटी आरईजी -04 में स्पष्टीकरण, सूचना अथवा दस्तावेज़ प्राप्त होने की तिथि से सात कार्य दिवसों के भीतर पंजीकरण के आवेदन पर निर्णय लेना आवश्यक है। सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदक के फॉर्म जीएसटी आरईजी -04 में प्रस्तुत स्पष्टीकरण, सूचना अथवा दस्तावेज़ों की सावधानीपूर्वक जाँच की जाएगी। यदि सक्षम अधिकारी फॉर्म जीएसटी आरईजी -04 में आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर से संतुष्ट है, तो वह उक्त उत्तर प्राप्त होने की तिथि से सात कार्य दिवसों के भीतर पंजीकरण के आवेदन को स्वीकृत करेगा। हालाँकि, यदि सक्षम अधिकारी आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, सूचना अथवा दस्तावेज़ों से संतुष्ट नहीं है, तो वह लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है तथा आवेदक को फॉर्म जीएसटी आरईजी -05 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से, उत्तर प्राप्त होने की तारीख से 07 कार्य दिवसों के भीतर, इसकी सूचना देगा।

5.6. जहाँ प्रणाली द्वारा ऐसे आवेदनों की पहचान की गई है जिनके लिए व्यवसाय के स्थान का भौतिक सत्यापन किया जाना है, वहाँ सक्षम अधिकारी को सीजीएसटी नियमों के नियम 9 को नियम 25 के साथ पढ़ते हुए, उसके प्रावधानों के अनुसार व्यवसाय के स्थान के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ करनी चाहिए। अतः अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, अन्य संबंधित दस्तावेजों तथा फोटोग्राफ सहित, आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस दिनों की निर्धारित अवधि समाप्त होने से कम से कम पाँच दिन पूर्व, प्रणाली पर फॉर्म जीएसटी आरईजी-30 में अपलोड कर दी जाए। भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी को निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करना होगा:

क. आवेदक द्वारा घोषित व्यवसाय के मुख्य स्थान के होने या न होने के संबंध में स्पष्ट एवं विशिष्ट रिपोर्ट दी जाए।

ख. यदि संबंधित इकाई/व्यवसाय का स्थान अस्तित्व में नहीं पाया जाता है, तो उक्त परिसर का पता लगाने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

ग. भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गए जीपीएस-सक्षम स्थल के फोटोग्राफ तथा अन्य दस्तावेज, यदि कोई हों, पोर्टल पर अपलोड किए जाएँ।

घ. यदि भौतिक सत्यापन के लिए आवंटित एआरएन किसी अन्य क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो संबंधित अधिकारी द्वारा उसे पोर्टल के माध्यम से तत्काल उसके सही क्षेत्राधिकार में पुनः आवंटित किया जाना चाहिए।

5.7 यदि ऊपर उल्लिखित तथा सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 9 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर सक्षम अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो पंजीकरण को स्वीकृत माना जाएगा।

6. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, सक्षम अधिकारी द्वारा फॉर्म जीएसटी आरईजी -01 में प्रस्तुत पंजीकरण आवेदनों का निपटान निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों की सूची का कठोरता से पालन करते हुए किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रक्रिया को सुगम एवं करदाता-अनुकूल बनाए रखने के उद्देश्य से आवेदकों से कोई अतिरिक्त अथवा अनावश्यक दस्तावेज न मांगे जाएँ।

जहाँ दस्तावेज गलत, अपूर्ण अथवा उनमें कोई विसंगति पाई जाती है, जैसे कि विवरणों में किसी प्रकार का मेल न होना, वहाँ अधिकारी द्वारा केवल फॉर्म जीएसटी आरईजी -03 के माध्यम से नोटिस जारी किया जाएगा, ताकि आवेदक को आवश्यक सुधार करने का स्पष्ट अवसर मिल सके। इसके लिए किसी अन्य माध्यम से वैकल्पिक रूप से सूचना नहीं दी जाएगी और न ही सीधे आवेदन को अस्वीकृत किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक एवं प्रामाणिक व्यवसायों को कुशलतापूर्वक जीएसटी प्रणाली में पंजीकृत करना है। अतः सक्षम अधिकारी को व्यक्तिगत अथवा अपनी राय पर आधारित आकलन करने से बचना चाहिए, जैसे कि बिजली के कनेक्शन को घरेलू या वाणिज्यिक श्रेणी में वर्गीकृत करना, बिजली के बिल की राशि की जांच करना, अथवा आवासीय परिसर को व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त मान लेना। इसके अतिरिक्त, उपयोगिता बिल (जैसे बिजली या पानी के बिल) अथवा संपत्ति कर की रसीदों का सत्यापन केवल आवेदक के नाम और पते की पुष्टि तक सीमित रखा जाना चाहिए। किराया अथवा लीज समझौते की जांच करते समय अधिकारी को मुख्य रूप से दस्तावेज की वैधता; उसमें आवेदक तथा मकान मालिक/पट्टादाता दोनों के नाम का उल्लेख; तथा के सही एवं पूर्ण पते का उल्लेख का सत्यापन करना चाहिए.

6.1 आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 14क के अनुसार, सरलीकृत पंजीकरण योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनने वाले पंजीकृत व्यक्ति को सामान्य पंजीकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। ऐसे व्यक्ति को फॉर्म जीएसटी आरईजी -32 में निकासी हेतु आवेदन, फॉर्म जीएसटी आरईजी -01 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा सामान्य पंजीकरण के लिए निर्धारित मानक प्रक्रिया आवश्यकतानुसार आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होगी।

7. आवेदक को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण के आवेदन में सभी अपेक्षित सूचना/विवरण तथा सभी आवश्यक दस्तावेज स्पष्ट, पढ़ने योग्य एवं हर प्रकार से पूर्ण रूप में प्रस्तुत किए जाएँ। यह भी सूचित किया जाता है कि जीएसटी में पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन एवं फेसलेस है जिसमें आमने-सामने मिलने की ज़रूरत नहीं होती है। सिवाय उन मामलों के जहाँ सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 9 एवं नियम 25 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक के परिसर का भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक हो, अथवा जहाँ किसी सुविधा केंद्र पर आधार का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, दस्तावेजों की मूल प्रतियों का सत्यापन तथा फोटोग्राफ लिया जाना आवश्यक हो। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित आवेदक के साथ सभी प्रकार के संचार, चाहे वे सिस्टम द्वारा किए जाएँ या सक्षम

अधिकारी द्वारा, केवल कॉमन पोर्टल के माध्यम से किए जाने हैं। अतः आवेदक को कॉमन पोर्टल के माध्यम से भेजे गए सभी संचार/नोटिस के प्रति सतर्क रहना चाहिए, ताकि कॉमन पोर्टल के माध्यम से भेजे गए किसी भी संचार के संबंध में वह समय पर आवश्यक कार्रवाई कर सके।

8. जहाँ आवेदक पंजीकरण के आवेदन के निस्तारण में हुई देरी अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा की गई अनावश्यक पूछताछ के कारण स्वयं को व्यथित महसूस करता है, वहाँ वह इस संबंध में क्षेत्राधिकार वाले मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर/ आयुक्त, राज्य कर के समक्ष शिकायत/शिकायत-निवारण प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए संबंधित जोन/राज्यों द्वारा निर्धारित विशेष ई-मेल का उपयोग किया जा सकता है।

9. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु को संबंधित लोगों तक पहुंचाने हेतु उपयुक्त व्यापार सूचना जारी की जाए।

10. यदि इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

(गौरव सिंह)
आयुक्त (जीएसटी)

लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न

क. पंजीकरण फॉर्म

प्र. 1. मुझे जीएसटी पंजीकरण कब करवाना होगा?

उ: आपको जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है, यदि :

i. माल, सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए पैन के आधार पर आपका वार्षिक कुल टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है; या

ii. आप ऐसी किसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके लिए टर्नओवर की सीमा पर ध्यान दिए बिना जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, जिन आपूर्तिकर्ताओं का टर्नओवर निर्धारित सीमा से कम है, वे भी स्वेच्छा से जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

प्र. 2. जीएसटी पंजीकरण के लिए वार्षिक कुल टर्नओवर की निर्धारित सीमा क्या है?

उ. केवल माल की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के लिए जीएसटी पंजीकरण हेतु निर्धारित वार्षिक कुल टर्नओवर की सीमा ₹40 लाख है, जबकि माल और सेवाओं दोनों की आपूर्ति करने वाले या केवल सेवाओं की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के लिए यह सीमा ₹20 लाख है।

हालाँकि, विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए, उनके विकल्प के अनुसार, इन सीमाओं में छूट दी गई है। ऐसे राज्यों में माल के आपूर्तिकर्ताओं के लिए ₹20 लाख और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के लिए ₹10 लाख की टर्नओवर की सीमा लागू होती है।

इसके अतिरिक्त, आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ (चाहे उसमें कोको हो या न हो), पान मसाला तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अंतर्गत वर्गीकृत सभी वस्तुओं, अर्थात् तंबाकू और निर्मित तंबाकू के विकल्पों, की विशेष रूप से आपूर्ति करने

वाले व्यक्तियों के लिए कारोबार की सीमा चाहे जो भी हो, अधिनियम के तहत जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले, आपको अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू निर्धारित सीमा की पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए।

प्र. 3. वार्षिक कुल टर्नओवर की निर्धारित सीमा के बावजूद किन व्यक्तियों के लिए जीएसटी पंजीकरण करवाना अनिवार्य है?

उ. निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए टर्नओवर चाहे जो भी हो, जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है:

1. अंतर्राज्यीय कर योग्य आपूर्ति करने वाले व्यक्ति;
2. आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, जो कर योग्य आपूर्ति करते हैं;
3. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति;
4. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी अधिनियम) की धारा 9 की उप-धारा (5) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति;
5. गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति, जो कर योग्य आपूर्ति करते हैं;
6. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 51 के तहत कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (टीडीएस काटने वाले), चाहे उनका अलग से पंजीकरण हो या न हो;
7. अन्य कर योग्य व्यक्तियों की ओर से कर योग्य आपूर्ति करने वाले व्यक्ति, चाहे एजेंट के रूप में या किसी अन्य रूप में;
8. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आईएसडी), चाहे उनका अलग से पंजीकरण हो या न हो;
9. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करने वाले व्यक्ति, जहाँ ऐसे ऑपरेटर को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 52 के तहत स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक है;
10. प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिसे सीजीएसटी अधिनियम की धारा 52 के तहत स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक है;
11. भारत के बाहर से भारत में किसी व्यक्ति (पंजीकृत व्यक्ति को छोड़कर) को ऑनलाइन सूचना एवं डेटाबेस एक्सेस या पुनर्प्राप्ति सेवाएँ (ओआईडीएआर) प्रदान करने वाले व्यक्ति;

12. कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी, जिसे जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

हालाँकि, यदि उपर्युक्त में से किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से अनिवार्य जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने से छूट दी गई है, तो उसके लिए जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक नहीं हो सकता है।

प्र. 4. जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे और कहाँ दाखिल करें?

उ: आप **जीएसटी पोर्टल** (https://www.gst.gov.in/) पर **सेवाओं → पंजीकरण → नवीन पंजीकरण** के ज़रिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए **ऑनलाइन आवेदन** कर सकते हैं।

प्र. 5. विभिन्न करदाताओं द्वारा पंजीकरण के लिए कौन-कौन से फॉर्म भरना आवश्यक है?

उ: करदाता को दिए गए "I am a" (मैं हूँ) ड्रॉप-डाउन मेनू में निम्नलिखित विकल्प दिखाई देते हैं:

- करदाता
- कर कटौतीकर्ता
- कर संग्रहकर्ता (ई-कॉमर्स)
- जीएसटी प्रैक्टिशनर
- गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति
- संयुक्त राष्ट्र निकाय
- विदेशी वाणिज्य दूतावास या दूतावास
- अन्य अधिसूचित व्यक्ति
- गैर-निवासी ऑनलाइन सेवा प्रदाता और/या गैर-निवासी ऑनलाइन मनी गेमिंग आपूर्तिकर्ता

करदाता के प्रकार के आधार पर, निम्नलिखित जीएसटी पंजीकरण फॉर्म दाखिल करना आवश्यक है:

क्र. सं	करदाता की श्रेणी	फॉर्म

1.	सामान्य करदाता, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आईएसडी) एवं आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन	**जीएसटी आरईजी -01**
2.	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 51 के तहत स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या धारा 52 के तहत स्रोत पर कर संग्रहकर्ता के पंजीकरण के लिए आवेदन	**जीएसटी आरईजी -07**
3.	गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति के पंजीकरण के लिए आवेदन	**जीएसटी आरईजी -09**
4.	भारत के बाहर से भारत में ओआईडीएआर(OIDAR) सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के लिए आवेदन	**जीएसटी आरईजी -10**
5.	संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के लिए आवेदन	**जीएसटी आरईजी -13**

प्र. 6. जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आवेदक के लिए अन्य कौन-कौन से जीएसटी फॉर्म प्रासंगिक हैं?

उ: करदाता के लिए प्रासंगिक अन्य फॉर्म निम्नलिखित हैं:

क्र. सं	फॉर्म	विवरण
1.	**फॉर्म जीएसटी आरईजी -02**	पंजीकरण आवेदन की पावती
2.	**फॉर्म जीएसटी आरईजी -03**	यदि सक्षम अधिकारी पंजीकरण आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों से संतुष्ट नहीं है, तो वह उक्त पंजीकरण आवेदन के संबंध में अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण/दस्तावेज़ माँगने के लिए नोटिस जारी कर सकता है।
3.	**फॉर्म जीएसटी आरईजी -04**	फॉर्म जीएसटी आरईजी -03 में प्राप्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत करना
4.	**फॉर्म जीएसटी आरईजी -05**	यदि आवेदक निर्धारित समय के भीतर नोटिस का जवाब देने में विफल रहता है, या यदि सक्षम अधिकारी द्वारा

		प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के उत्तर से संतुष्टि नहीं होती है, तो पंजीकरण के आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश जारी किया जाएगा।
5.	**फॉर्म जीएसटी आरईजी -06**	पंजीकरण प्रमाणपत्र

प्र. 7. "पंजीकरण का कारण" मेरे जीएसटी आवेदन की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है?

उ: पंजीकरण के लिए चयनित "कारण" एक महत्वपूर्ण विवरण है, जिसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन क्यों कर रहे हैं। इसे आवेदन में दिए गए व्यवसाय के स्वरूप तथा अन्य विवरणों के अनुरूप होना आवश्यक है, ताकि आवेदन की प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके। यह पंजीकरण की श्रेणी, कर देयता निर्धारित करने तथा यहां तक कि पंजीकरण रद्द करने के समय भी उपयोगी हो सकता है।

प्र. 8. क्या छोटे व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने की कोई सरल प्रक्रिया है?

उ: हाँ, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (सीजीएसटी नियम, 2017) के नियम 14क के अनुसार 1 नवंबर 2025 से छोटे व्यवसायों के लिए सरल पंजीकरण योजना शुरू की गई है। यह वैकल्पिक योजना उन छोटे व्यवसायों के लिए है, जिन्हें पंजीकृत प्राप्तकर्ताओं को प्रति माह ₹2.5 लाख से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट [आईजीएसटी + सीजीएसटी + एसजीएसटी] हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के तहत, आवेदन की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर अधिकारी के किसी हस्तक्षेप के बिना पंजीकरण स्वतः प्रदान कर दिया जाता है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 14क के तहत सरल पंजीकरण योजना उन मामलों में लागू नहीं होती, जहाँ व्यक्ति को किसी एक महीने में ₹2.5 लाख से अधिक का आईटीसी हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है।

प्र. 9. सरल जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए क्या शर्तें और प्रतिबंध हैं?

उ: इस सरल योजना का लाभ उठाने के लिए, छोटे आपूर्तिकर्ता को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

i. जीएसटी पंजीकरण के लिए फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन दाखिल करना होगा।

ii. आवेदन दाखिल करते समय आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनना होगा।

iii. नियम 14क के तहत पंजीकरण का विकल्प चुनना होगा और यह घोषणा करनी होगी कि वह नीचे दी गई सभी शर्तों एवं प्रतिबंधों का पालन करेंगे:

(a) वह किसी माह में पंजीकृत व्यक्तियों को की जाने वाली जावक कर योग्य आपूर्ति में कुल ₹2.5 लाख से अधिक की कर राशि घोषित नहीं कर सकता।

(b) वह सीजीएसटी नियम , 2017 के नियम 14क के तहत एक ही पैन पर किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एक से अधिक जीएसटी पंजीकरण प्राप्त नहीं कर सकता।

प्र. 10. मैंने नियम 14क के तहत सरल पंजीकरण योजना के अंतर्गत जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया है। अब मैं किसी माह में पंजीकृत प्राप्तकर्ताओं को ₹2.5 लाख से अधिक का आईटीसी हस्तांतरित करना चाहता हूँ। मैं उक्त नियम के तहत सरल पंजीकरण योजना से कैसे बाहर निकल सकता हूँ और सामान्य पंजीकरण कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?

उ: आप निम्नलिखित तरीके से सरल पंजीकरण योजना से बाहर निकलकर नियमित करदाता बन सकते हैं:

कॉमन पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी आरईजी-32 में सरल पंजीकरण योजना से बाहर निकलने के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख तक देय सभी लंबित रिटर्न दाखिल करें। इसके लिए यह शर्त है कि आपने सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 14क के तहत पंजीकरण प्राप्त करने के बाद कम से कम एक कर अवधि का रिटर्न दाखिल किया हो।

फॉर्म जीएसटी आरईजी -32 जमा करने के बाद, आपके सरल पंजीकरण से बाहर निकलने के आवेदन की प्रक्रिया उसी प्रकार की जाएगी, जिस प्रकार फॉर्म जीएसटी आरईजी -01 के तहत सामान्य पंजीकरण आवेदन की प्रक्रिया की जाती है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद, आप नियमित करदाता बन जाएंगे और नियम 14क के तहत लगाए गए प्रतिबंध अब आप पर लागू नहीं होंगे।

प्र.11. पंजीकरण आवेदन दाखिल करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया के लिए मैनुअल/ट्यूटोरियल कहाँ उपलब्ध है?

उत्तर: आवेदकों को जीएसटी पंजीकरण आवेदन दाखिल करने में चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान करने वाला संपूर्ण मैनुअल/ट्यूटोरियल जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध है: https://tutorial.gst.gov.in/userguide/registration/index.htm#t=Apply_for_Registration_Normal_Taxpayer.htm

इस ट्यूटोरियल के अलावा, आवेदन फॉर्म में ही टूल टिप्स और वास्तविक समय में संदर्भ-आधारित मार्गदर्शन उपलब्ध है, जो आवेदकों को पंजीकरण फॉर्म सही तरीके से भरने में सहायता करता है।

प्र. 12. क्या मुझे जीएसटी पंजीकरण आवेदन दाखिल करने के लिए जीएसटी कार्यालय जाने की आवश्यकता है?

उ: जीएसटी पंजीकरण आवेदन दाखिल करने के लिए जीएसटी कार्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीएसटी पंजीकरण आवेदन जीएसटी कॉमन पोर्टल (https://www.gst.gov.in/) पर ऑनलाइन दाखिल किया जाना आवश्यक है।

आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, आपको फॉर्म जीएसटी आरईजी -02 में पंजीकरण आवेदन की पावती प्राप्त होगी।

प्र.13. क्या सामान्य पोर्टल पर पंजीकरण आवेदन दाखिल करने के बाद अपने पंजीकरण आवेदन की प्रक्रिया के लिए मुझे जीएसटी कार्यालय जाने की आवश्यकता है?

उ: जीएसटी पंजीकरण आवेदन की प्रक्रिया जीएसटी सामान्य पोर्टल पर ऑनलाइन की जाती है। इसके अतिरिक्त, नियम 14क के तहत दाखिल किए गए पंजीकरण आवेदन के संबंध में, पंजीकरण तीन कार्य दिवसों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी कर दिया जाता है। वहीं, सामान्य पंजीकरण आवेदन के मामले में, यदि आपका आवेदन बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण के लिए चयनित किया जाता है, तो आपको जीएसटी पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको नामित जीएसटी सुविधा केंद्र (जीएसके) पर जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और दस्तावेज़ सत्यापन करवाना होगा। यह प्रक्रिया पंजीकरण आवेदन फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर और ई-मेल पते पर अस्थायी संदर्भ संख्या प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। ऐसा न करने पर आपके आवेदन की आगे की प्रक्रिया नहीं की जा सकती है। बायोमेट्रिक-आधारित

आधार प्रमाणीकरण और दस्तावेज़ सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, आपको फॉर्म जीएसटी आरईजी -02 में पंजीकरण आवेदन की पावती प्राप्त होगी।

प्रश्न 14. क्या जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान कोई अधिकारी मेरे व्यावसायिक परिसर का सत्यापन करने के लिए आएगा?

उ: सक्षम अधिकारी आपके व्यावसायिक परिसर का भौतिक सत्यापन कर सकता है, यदि:

(a) आप आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुनते हैं या आधार प्रमाणीकरण पूरा करने में विफल रहते हैं; या

(b) आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने के बावजूद, जोखिम मानकों और डेटा विश्लेषण के आधार पर आपका आवेदन परिसर के भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली द्वारा चयनित किया जाता है; या

(c) सक्षम अधिकारी को भौतिक सत्यापन को आवश्यक लगता है और इसके लिए उच्च अधिकारी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करता है।

प्र.15. क्या जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करने के बाद मुझे कोई अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करनी होगी? यदि अधिकारी द्वारा उठाए गए किसी प्रश्न का मैं उत्तर नहीं देता हूँ, तो क्या होगा?

उ: आवेदन जमा करने के बाद, आप जीएसटी सामान्य पोर्टल पर अपने पंजीकरण आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। यदि आपके आवेदन की जांच के दौरान सक्षम अधिकारी को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है या कोई विसंगति पाई जाती है, तो वह जीएसटी सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी आरईजी -03 में नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज/जानकारी/स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर, आपको नोटिस फॉर्म जीएसटी आरईजी -03 प्राप्त होने की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर, आवश्यक जानकारी/दस्तावेज/स्पष्टीकरण सहित अपना उत्तर फॉर्म जीएसटी आरईजी -04 में जीएसटी सामान्य पोर्टल पर जमा करना आवश्यक है।

यदि आप निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो अधिकारी आपके जीएसटी पंजीकरण आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

प्र. 16. फॉर्म जीएसटी आरईजी -04 में स्पष्टीकरण जमा करने के बाद मेरे जीएसटी पंजीकरण आवेदन पर अंतिम निर्णय प्राप्त होने में कितना समय लगेगा?

उ: आवश्यक स्पष्टीकरण फॉर्म जीएसटी आरईजी -04 में जमा करने के बाद, संबंधित अधिकारी आपके आवेदन पर कार्रवाई करेंगे और 7 कार्य दिवसों के भीतर निर्णय लेंगे।

यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र फॉर्म जीएसटी आरईजी -06 जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि आपका आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो अस्वीकृति आदेश फॉर्म जीएसटी आरईजी -05 जारी किया जाएगा और जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

प्र. 17. यदि जीएसटी अधिकारी निर्धारित समय के भीतर मेरे पंजीकरण आवेदन पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या होगा?

उ: यदि अधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आपका जीएसटी पंजीकरण स्वीकृत माना जाएगा। ऐसे मामलों में, पंजीकरण प्रमाणपत्र फॉर्म जीएसटी आरईजी -06 स्वतः जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

प्र. 18. यदि मेरा जीएसटी पंजीकरण आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

उ: यदि आपका आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो आप अस्वीकृति आदेश में अधिकारी द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के बाद नया आवेदन जमा कर सकते हैं।

प्र.19. क्या एक ही राज्य में कई व्यवसायों, शाखाओं या व्यावसायिक इकाइयों के लिए अलग-अलग जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया जा सकता है?

उ: हाँ, कोई व्यक्ति एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित व्यवसाय के विभिन्न स्थानों या शाखाओं के लिए अलग-अलग जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति कंपोज़िशन करदाता के रूप में पंजीकृत न हो।

<u>ख. व्यवसाय की संरचना (सीओबी) से संबंधित जानकारी/दस्तावेज़</u>

प्र. 20. व्यवसाय की संरचना (<u>सीओबी</u>) से संबंधित कौन-सी जानकारी/दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

उ: फॉर्म जीएसटी आरईजी -01 के भाग ख में आवेदक को व्यवसाय की सही संरचना का चयन करना होता है, जैसे– एकल स्वामित्व, साझेदारी, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ़), प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), ट्रस्ट, व्यक्तियों का संघ, स्थानीय प्राधिकरण, पीएसयू आदि। इसके अलावा, आवेदक को साझेदारी फर्म के मामले में साझेदारी विलेख की प्रति अपलोड करनी होती है। इसी प्रकार, सोसायटी, ट्रस्ट, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय, स्थानीय प्राधिकरण, वैधानिक निकाय आदि के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र/संस्था की संरचना का प्रमाण अपलोड करना होता है, जैसा कि परिपत्र संख्या 257/03/2026-जीएसटी के अनुलग्नक-II में उल्लेखित है।

<u>ग. मुख्य व्यावसायिक स्थान (पीपीओबी) / अतिरिक्त व्यावसायिक स्थान (एपीओबी) के विवरण से संबंधित जानकारी/दस्तावेज़</u>

प्र. 21. यदि पीपीओबी/एपीओबी के रूप में घोषित किया जाने वाला परिसर मेरे स्वामित्व में है, तो परिसर के प्रमाण के रूप में मुझे कौन-सा दस्तावेज़ अपलोड करना होगा?

उ: यदि परिसर आपके स्वामित्व में है, तो आपको अपने नाम पर निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज़ की स्पष्ट और पढ़ने योग्य प्रति अपलोड करनी होगी: संपत्ति कर रसीद, नगर पालिका खाता, संपत्ति पहचान दस्तावेज़, बिजली का बिल, पानी का बिल। साथ ही, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि दस्तावेज़ में उल्लिखित पता आपके जीएसटी पंजीकरण आवेदन में घोषित पीपीओबी के पते से बिल्कुल मेल खाता हो।

प्रश्न 22. परिसर मेरे पिता, माता या किसी अन्य रिश्तेदार के स्वामित्व में है, लेकिन मैं उस परिसर में रह रहा हूँ। क्या मैं पंजीकरण आवेदन में उसे पीपीओबी/एपीओबी के रूप में अपने स्वामित्व वाला परिसर घोषित कर सकता हूँ?

उ: नहीं। ऐसे मामले में आपको “परिसर के प्रकार” वाले कॉलम में “सहमति” का चयन करना होगा और निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य प्रति अपलोड करनी होगी:

1. प्रश्न 21 के उत्तर में बताए गए दस्तावेज़ों में से कोई एक, जो पीपीओबी/एपीओबी के रूप में घोषित किए गए पते से संबंधित हो; और

2. परिवार के सदस्य (पति/पत्नी, माता-पिता आदि) द्वारा दिया गया सहमति पत्र, जो सादे कागज़ पर परिपत्र संख्या 257/03/2026-जीएसटी के अनुलग्नक-VI में दिए गए प्रारूप के अनुसार हो।

प्र. 23. यदि पीपीओबी/एपीओबी के रूप में घोषित किया जाने वाला परिसर किराए पर/पट्टे पर है और पंजीकृत किराया/लीज़ समझौता उपलब्ध है, तो कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

उ: यदि किराया या पट्टा अनुबंध पंजीकृत है, तो पीपीओबी/एपीओबी के रूप में घोषित किए जाने वाले परिसर के प्रमाण के रूप में घोषित पते से संबंधित पंजीकृत किराया/ पट्टा अनुबंध की स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य प्रति अपलोड करना आवश्यक है।

प्र. 24. यदि परिसर किराए पर/ पट्टे पर है और किराया या पट्टा अनुबंध पंजीकृत नहीं है, तो कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

उ: यदि पीपीओबी/एपीओबी के रूप में घोषित किए जाने वाले परिसर का किराया/ पट्टा अनुबंध पंजीकृत नहीं है, तो आपको घोषित पते से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य प्रति अपलोड करनी होगी:

1. किराया या पट्टा अनुबंध की प्रति; और

2. उक्त परिसर के संबंध में मकान मालिक के नाम पर प्रश्न 21 के उत्तर में बताए गए दस्तावेज़ों में से कोई एक।

प्र. 25. यदि परिसर के लिए कोई किराया/लीज़ समझौता उपलब्ध नहीं है, तो पीपीओबी/एपीओबी के प्रमाण के रूप में कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

उत्तर: यदि पीपीओबी/एपीओबी के रूप में घोषित किए जाने वाले परिसर के संबंध में कोई किराया या पट्टा अनुबंध उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य अपलोड करनी होगी:

a. इस आशय का वचन-पत्र कि आप उक्त परिसर को पीपीओबी/एपीओबी के रूप में उपयोग करने के लिए उसके कब्जे में हैं। यह वचन-पत्र परिपत्र संख्या 257/03/2026-जीएसटी के अनुलग्नक-V में दिए गए प्रारूप के अनुसार होना चाहिए।

b. पीपीओबी/एपीओबी के रूप में घोषित पते से संबंधित परिसर के लिए आवेदक के नाम पर प्रश्न 21 के उत्तर में बताए गए दस्तावेज़ों में से किसी एक की प्रति।

प्र. 26. यदि मैं को-वर्किंग स्पेस से अपना व्यवसाय संचालित कर रहा हूँ, तो पीपीओबी/एपीओबी के प्रमाण के रूप में कौन-से दस्तावेज़ अपलोड करने चाहिए?

उत्तर: को-वर्किंग स्पेस को पीपीओबी/एपीओबी के रूप में घोषित करने के लिए आपको को-वर्किंग स्पेस प्रदाता के साथ अपनी सदस्यता की स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य प्रति अपलोड करनी होगी, जिसमें आपको आवंटित डेस्क, सीट, सुइट या क्षेत्र तथा परिसर का पूरा पता स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो। इसके अतिरिक्त:

i. यदि को-वर्किंग स्पेस प्रदाता परिसर का स्वामी है, तो आपको घोषित पते से संबंधित प्रश्न 21 के उत्तर में बताए गए दस्तावेज़ों में से किसी एक की को-वर्किंग स्पेस प्रदाता के नाम पर स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य प्रति भी अपलोड करनी होगी।

इसके अलावा, यदि को-वर्किंग स्पेस प्रदाता ने परिसर किराए या पट्टे पर लिया है, तो आपको परिसर के मालिक और को-वर्किंग स्पेस प्रदाता के बीच हुए पंजीकृत किराया या पट्टा अनुबंध की स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य प्रति भी अपलोड करनी होगी।

प्र.27. एसईज़ेड (SEZ) इकाई या एसईज़ेड (SEZ) डेवलपर के लिए मुख्य व्यावसायिक स्थान (पीपीओबी) के प्रमाण के रूप में कौन-से दस्तावेज़ अपलोड करने चाहिए?

उत्तर: आवेदक को भारत सरकार या सक्षम एसईज़ेड प्राधिकरणों द्वारा जारी संबंधित स्वीकृति पत्र, प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे, जो एसईज़ेड इकाई या एसईज़ेड डेवलपर के स्थान का प्रमाण देते हों।

प्र.28. मेरे पास पहले से उसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एसईज़ेड के बाहर स्थित व्यावसायिक स्थान_के लिए जीएसटी पंजीकरण है। क्या मैं अपनी एसईज़ेड इकाई के लिए अलग जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकता हूँ?

उत्तर: हाँ। एसईज़ेड इकाई या एसईज़ेड डेवलपर के लिए अलग जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है, भले ही आवेदक के पास उसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एसईज़ेड के बाहर स्थित व्यावसायिक स्थान के लिए पहले से जीएसटी पंजीकरण हो। एसईज़ेड इकाई को मौजूदा गैर- एसईज़ेड जीएसटीआईएन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता।

प्र. 29. यदि पीपीओबी/एपीओबी के रूप में घोषित किए जाने वाले परिसर का स्वामित्व किसी मृत पूर्वज के नाम पर है, तो पीपीओबी/एपीओबी के प्रमाण के रूप में कौन-से दस्तावेज़ अपलोड करने चाहिए?

उ: यदि पीपीओबी/एपीओबी के रूप में घोषित किया जाने वाला परिसर किसी मृत पूर्वज के नाम पर है, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ों की स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य प्रति अपलोड करनी होगी:

i. मृत पूर्वज के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति; और

ii. आवेदक द्वारा न्यूनतम निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र , जिसमें यह घोषित किया गया हो कि आवेदक उक्त परिसर का उत्तराधिकारी है या उसे उस परिसर पर कानूनी विरासत का अधिकार प्राप्त है, जिसे पीपीओबी/एपीओबी के रूप में घोषित किया जाना है। यह शपथ-पत्र परिपत्र संख्या 257/03/2026-जीएसटी के अनुलग्नक-IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। इसमें उत्तराधिकार या कानूनी विरासत का विवरण देते हुए यह दर्शाया जाना चाहिए कि आवेदक उक्त परिसर का कब्जा रखने वाला है; और

iii. पीपीओबी/एपीओबी के रूप में घोषित किए जाने वाले पते से संबंधित परिसर के लिए मृत पूर्वज या आवेदक के नाम पर प्रश्न 21 के उत्तर में बताए गए दस्तावेज़ों में से कोई एक।

प्र.30. मेरे पीपीओबी/एपीओबी के रूप में घोषित किए जाने वाले परिसर का पता, पंजीकरण आवेदन में दिए गए मेरे आवासीय पते से अलग राज्य/जिले/शहर में है। क्या इससे जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त करने में कोई समस्या होगी?

उ: जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य/जिले/शहर में आवासीय पता होना आवश्यक नहीं है। आपका आवासीय पता उस राज्य/जिले/शहर से अलग हो सकता है, जहाँ जीएसटी के अंतर्गत पीपीओबी/एपीओबी के रूप में घोषित किया जाने वाला आपका व्यवसायिक परिसर स्थित है। हालाँकि, आपको सलाह दी जाती है कि फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 में अपने आवासीय पते तथा पीपीओबी/एपीओबी के रूप में घोषित किए जाने वाले व्यवसायिक परिसर से संबंधित सभी विवरण सही एवं सटीक रूप से प्रदान करें।

प्र. 31. पीपीओबी/एपीओबी के प्रमाण के रूप में कोई दस्तावेज़ अपलोड करने से पहले मुझे किन बातों की जाँच करनी चाहिए?

उ: पीपीओबी/एपीओबी के रूप में घोषित किए जाने वाले परिसर के प्रमाण के रूप में दस्तावेज़ अपलोड करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दस्तावेज़ में उल्लिखित नाम और पता आपके जीएसटी पंजीकरण आवेदन में दिए गए विवरण से मेल खाते हों। यदि आप बिजली या पानी का बिल अपलोड कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह बहुत पुराना न हो और बिजली या पानी के बिल की नवीनतम प्रति अपलोड की जाए। आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किया गया दस्तावेज़ स्पष्ट, पूर्ण और पढ़ने योग्य हो।

प्र.32. क्या मैं जीएसटी पंजीकरण के लिए अपने व्यवसाय के पते के रूप में पोस्ट ऑफिस बॉक्स या कूरियर पते का उपयोग पीपीओबी/एपीओबी के रूप में कर सकता हूँ?

उ: नहीं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स को पीपीओबी/एपीओबी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। जीएसटी पंजीकरण के लिए एक सत्यापन योग्य भौतिक पता होना आवश्यक है। आपके पास एक वास्तविक भौतिक परिसर होना चाहिए और उस परिसर के पते के प्रमाण के रूप में ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में बताए गए वैध सहायक दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे।

प्र. 33. यदि एक ही भवन में मेरी कई शाखाएँ हैं, तो क्या मुझे उन सभी शाखाओं को पीपीओबी के रूप में घोषित करना आवश्यक है या उनमें से केवल एक को पीपीओबी के रूप में घोषित करना होगा? इसके अलावा, क्या प्रत्येक शाखा के लिए अलग-अलग प्रमाण अपलोड करना आवश्यक है?

उ: आप उनमें से किसी एक शाखा को पीपीओबी तथा अन्य शाखाओं को एपीओबी के रूप में घोषित कर एक ही जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं, अथवा शाखाओं को पीपीओबी के रूप में घोषित

कर अलग-अलग पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, प्रत्येक पीपीओबी और/या एपीओबी के लिए अलग-अलग प्रमाण अपलोड करना आवश्यक है।

प्र. 34. बिजली का बिल मकान मालिक के नाम पर है, लेकिन बिजली का मीटर है। क्या इसे पीपीओबी/एपीओबी के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा?

उ: इस स्थिति में निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए:

1. यदि आपके पास पंजीकृत किराया/पट्टा अनुबंध है, तो केवल पंजीकृत किराया/पट्टा अनुबंध अपलोड करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है।
2. यदि किराया/पट्टा अनुबंध पंजीकृत नहीं है, तो किराया अनुबंध के साथ मकान मालिक के नाम पर उपलब्ध कोई एक दस्तावेज़ अपलोड करना होगा, जैसा कि ऊपर प्रश्न संख्या 21 के उत्तर में उल्लिखित है।

प्र. 35. क्या परिसर में आवेदक या मकान मालिक के फोटो को पीपीओबी के प्रमाण के रूप में आवश्यकता होगी या स्वीकार किया जाएगा?

उ: नहीं। जीएसटी पंजीकरण के लिए केवल दस्तावेजों की सूची में निर्धारित दस्तावेज़ तथा फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 के साथ संलग्न निर्देशों में निर्धारित प्रारूप के अनुसार दस्तावेज़ ही आवश्यक हैं।

प्र. 36. यदि मैं उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई इकाई हूँ, तो क्या मुझे पीपीओबी के प्रमाण के रूप में उद्यम (एमएसएमई) प्रमाणपत्र अपलोड करना आवश्यक है?

उ: न तो उद्यम/ एमएसएमई प्रमाणपत्र अपलोड करना आवश्यक है और न ही इसे पीपीओबी/एपीओबी के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

प्र. 37. यदि संपत्ति मेरे और किसी अन्य सह-स्वामी के संयुक्त स्वामित्व में है, लेकिन बिजली/पानी आदि के उपयोगिता बिल तथा इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज़ दूसरे सह-स्वामी के नाम पर जारी किए गए हैं, तो कौन-कौन से दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने चाहिए?

उ: यदि संपत्ति संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली है और सह-स्वामियों में से कोई एक व्यक्ति उस परिसर को पीपीओबी के रूप में उपयोग करते हुए जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना चाहता है, तो अन्य सह-स्वामियों की सहमति या अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें संपत्ति संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली हो, लेकिन उपयोगिता बिल तथा इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज़ केवल एक ही सह-स्वामी के नाम पर जारी किए गए हों। ऐसी स्थिति में आवेदक को ऐसा दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा, जिसमें दोनों सह-स्वामियों के स्वामित्व का उल्लेख हो।

<u>घ. बैंक खाते के विवरण से संबंधित जानकारी/दस्तावेज़</u>

प्र.38. मुझे किस प्रकार के बैंक खाते का विवरण प्रदान करना चाहिए?

उ: आपको उन बैंक खातों का विवरण प्रदान करना चाहिए, जो आपकी फर्म या आपके नाम पर हों, आपकी फर्म के पैन पर खोले गए हों तथा उस व्यवसाय के संचालन के लिए आपके द्वारा संचालित किए जा रहे हों, जिसके लिए जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया जा रहा है। आपकी फर्म के नाम पर संचालित होने वाले अथवा फर्म के लेन-देन के लिए उपयोग किए जा रहे सभी बैंक खातों का विवरण देना/जोड़ना/अद्यतन करना अनिवार्य है, भले ही ऐसे बैंक खाते जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के बाद खोले गए हों या बाद में जोड़े गए हों।

प्र.39. क्या जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करते समय बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य है?

उ: नहीं। पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करते समय बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, यदि जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करते समय बैंक खाते का विवरण उपलब्ध है, तो आपको आवेदन के समय ही बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

हालांकि, सीजीएसटी नियमों के नियम 10क के अनुसार, पंजीकरण प्रदान किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, अथवा जीएसटीआर-1/ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जावक आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने से पहले, इनमें से जो भी पहले हो, बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

प्र.40. GST पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करते समय या उसके बाद कितने बैंक खातों का विवरण प्रदान किया जा सकता है?

उ: आप अपने व्यवसाय से संबंधित अधिकतम 10 बैंक खातों का विवरण प्रदान कर सकते हैं।

<u>ङ. माल और सेवाओं का विवरण</u>

प्र. 41. क्या मुझे "माल और सेवाओं का विवरण" वाले स्थान में सभी मालों और सेवाओं का विवरण दर्ज करना चाहिए?

उ: यह सलाह दी जाती है कि आप अपने व्यवसाय द्वारा आपूर्ति की जाने वाली या आपूर्ति किए जाने के लिए प्रस्तावित सभी प्रकार की मालों और/या सेवाओं का विवरण प्रदान करें। अपने व्यवसाय की गतिविधि के अनुसार सटीक और विशिष्ट विवरण दर्ज करें। हालांकि, यदि आप सभी मालों और/या सेवाओं को जोड़ने में सक्षम नहीं हैं, तो आपको प्रमुख मालों और/या सेवाओं का विवरण अवश्य दर्ज करना होगा।

प्र. 42. क्या मैं पंजीकरण के बाद एचएसएन से संबंधित विवरण में आइटम को अपडेट या जोड़ सकता हूँ?

उ: हाँ, पंजीकरण प्रदान किए जाने के बाद आप फॉर्म जीएसटी आरईजी-14 में संशोधन आवेदन के माध्यम से वस्तुओं/सेवाओं को अपडेट या जोड़ सकते हैं।

<u>च. मालिक/ निदेशकों/ कर्ता/ प्रवर्तक आदि के विवरण से संबंधित जानकारी/दस्तावेज़</u>

प्र. 43. मालिक/निदेशकों/कर्ता/प्रवर्तकों आदि के संबंध में किन व्यक्तियों का विवरण देना आवश्यक है?

उ: आवेदक को एकल स्वामित्व वाली फर्म के मामले में मालिक का विवरण प्रदान करना होगा, जिसमें उसका/उसकी नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, लिंग, पैन, आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो), निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो), आवासीय पता, फर्म/कंपनी में पदनाम/स्थिति आदि शामिल हैं। साझेदारी फर्म/एलएलपी के मामले में प्रबंध साझेदार के साथ-साथ सभी अन्य साझेदारों का विवरण भी प्रदान करना आवश्यक है। एचयूएफ़ के मामले में कर्ता का विवरण प्रदान

किया जाना आवश्यक है। कंपनी के मामले में प्रबंध निदेशक तथा सभी पूर्णकालिक निदेशकों का विवरण प्रदान करना आवश्यक है। संगठन के मामले में प्रबंध समिति के सभी सदस्यों का विवरण तथा ट्रस्ट के मामले में ट्रस्टी के बोर्ड के सभी सदस्यों का विवरण आवेदक द्वारा प्रदान किया जाना आवश्यक है। कंपनी के निदेशकों तथा एलएलएपी के नामित साझेदारों के मामले में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) प्रदान करना अनिवार्य है।

प्र. 44. पंजीकरण प्राप्त करने के बाद यदि निदेशक/प्रवर्तक/साझेदार आदि के विवरण में कोई परिवर्तन होता है, तो मै इन विवरणों को कैसे अपडेट किया जा सकता है?

उ: निदेशकों, साझेदारों, ट्रस्टी, प्रवर्तकों या कर्ता आदि के विवरण में होने वाले परिवर्तनों को जीएसटी सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी आरईजी-14 में संशोधन आवेदन दाखिल करके अपडेट किया जा सकता है।

प्र. 45. क्या किसी कंपनी के निदेशकों के लिए निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) अनिवार्य है?

उ: हाँ। जहाँ लागू हो, वहाँ कंपनी के निदेशकों तथा एलएलपी के नामित साझेदारों के लिए डीआईएन प्रदान करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, डीआईएन का सत्यापन एमसीए के माध्यम से किया जाएगा।

प्रश्न 46. क्या प्रत्येक प्रवर्तक/साझेदार/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है?

उत्तर: सत्यापन तथा भविष्य में किए जाने वाले पत्राचार/संचार के लिए प्रत्येक प्रवर्तक/साझेदार/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर सही-सही प्रदान करना आवश्यक है।

प्र. 47. क्या आवेदन जमा करते समय सीआईएन का सत्यापन किया जाएगा?

उत्तर: आवेदन जमा करते समय सीआईएन से संबंधित सभी जानकारी का ऑनलाइन सत्यापन प्रणाली द्वारा किया जाएगा।

<u>छ. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्राधिकृत प्रतिनिधि</u>

प्र. 48. जीएसटी के अंतर्गत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कौन हो सकता है?

उ: कोई भी व्यक्ति**,** जो नाबालिग न हो, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाया जा सकता है। हालांकि, अनिवासी करयोग्य व्यक्ति के पंजीकरण के लिए फॉर्म जीएसटी आरईजी-09 में आवेदन दाखिल किए जाने के मामले में, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भारतीय नागरिक होना चाहिए तथा नाबालिग नहीं होना चाहिए।

प्र. 49. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के संबंध में कौन-से दस्तावेज़ और विवरण प्रदान करना आवश्यक है?

उत्तर: आवेदक को मुख्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा, अन्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, यदि कोई हो, का विवरण प्रदान करना आवश्यक है। इसमें नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, लिंग, पैन, आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो), निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) (जहाँ लागू हो), आवासीय पता, पदनाम/स्थिति आदि का विवरण शामिल है। पंजीकरण के आवेदन में अधिकतम दस (10) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे सभी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के फोटोग्राफ भी आवेदन के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, मालिक/साझेदारों/बोर्ड/ट्रस्ट/प्रबंध समिति आदि द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र, जिसमें संबंधित व्यक्ति को संस्था के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया हो, उक्त प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की नियुक्ति के प्रमाण के रूप में अपलोड करना अनिवार्य है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में नवीनतम फोटोग्राफ भी अपलोड करना आवश्यक है।

प्र. 50. मैं कितने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को जोड़ सकता हूँ?

उ: आप मुख्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सहित अधिकतम दस (10) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जोड़ सकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि कम से कम दो हस्ताक्षरकर्ता–एक मुख्य और एक वैकल्पिक जोड़े जाएँ, ताकि किसी एक हस्ताक्षरकर्ता के ई-हस्ताक्षर, डीएससी या आधार सत्यापन के लिए उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्य सुचारु रूप से संचालित किया जा सके।

प्र. 51. क्या लिए आवेदन पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर आवश्यक है?

उ: फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 में उल्लिखित मुख्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

दस्तावेज़ों की जाँच-सूची

क्र.सं	**व्यवसाय का गठन**	**जिन व्यक्तियों का विवरण प्रस्तुत किया जाना है**	**आवश्यक व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर**	**आवश्यक विवरण/दस्तावेज़**
i	एकल स्वामित्व	मालिक	मालिक	• मालिक का पैन • मालिक का फोटोग्राफ • मालिक या एकल स्वामित्व फर्म के बैंक खाते का विवरण, जैसा लागू हो। • व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता प्रमाण (अनुलग्नक -III)
ii	• साझेदारी फर्म • सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) • विदेशी सीमित देयता भागीदारी	प्रबंधकारी / प्राधिकृत / नामित साझेदार	साझेदारी फर्म के लिए प्रबंधकारी / प्राधिकृत साझेदार सीमित देयता भागीदारी के लिए नामित साझेदार विदेशी एलएलपी के लिए भारत में प्राधिकृत व्यक्ति	• साझेदारी फर्म का पैन • साझेदारी विलेख अथवा संस्था के गठन की पुष्टि करने वाला कोई अन्य प्रमाण (साझेदारी फर्म के लिए) / निगमन प्रमाणपत्र/ स्थापना प्रमाणपत्र • प्रबंध साझेदार तथा प्राधिकृत/नामित

	(विदेशी एलएलपी)			साझेदारों सहित सभी साझेदारों के फोटोग्राफ • फॉर्म जीएसटी आरईजी-01 के निर्देशों में निर्दिष्ट प्राधिकरण प्रपत्र • साझेदारी फर्म के बैंक खाते का विवरण • व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता प्रमाण (अनुलग्नक -III)
iii	हिंदू अविभाजित परिवार	कर्ता	कर्ता	• एचयूएफ़ का पैन • कर्ता का फोटोग्राफ • एचयूएफ़ के बैंक खाते का विवरण • व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता प्रमाण (अनुलग्नक -III)
iv	• प्राइवेट लिमिटेड कंपनी • पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	प्राइवेट /पब्लिक/असीमित कंपनी के लिए प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक	• कंपनी का पैन • निगमन प्रमाणपत्र / स्थापना प्रमाणपत्र • प्रबंध निदेशक और निदेशकों का फोटोग्राफ तथा फॉर्म जीएसटी आरईजी -01 के निर्देशों

	असीमित कंपनी • भारत में पंजीकृत विदेशी कंपनी • एक व्यक्ति की कंपनी	भारतीय प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निदेशक	भारत में पंजीकृत विदेशी कंपनी के लिए भारतीय प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एक व्यक्ति के कंपनी के लिए निदेशक	में निर्दिष्ट प्राधिकरण फॉर्म • प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटोग्राफ • कंपनी के बैंक खाते का विवरण • व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता प्रमाण (अनुलग्नक -III)
v	संस्था	प्रबंध समिति या ट्रस्टी के सभी सदस्य अध्यक्ष / सचिव / चेयरमैन तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	प्रबंध समिति के सदस्य	• संस्था /क्लब/एओपी/ट्रस्ट का पैन • पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा संस्था के गठन की पुष्टि करने वाला कोई अन्य प्रमाण • अध्यक्ष/सचिव/चेयरमैन सहित न्यासियों या प्रबंध समिति के सदस्यों के फोटोग्राफ • फॉर्म जीएसटी आरईजी - 01 के निर्देशों में निर्धारित प्राधिकरण प्रपत्र

				• प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का फोटोग्राफ • संस्था क्लब/ एओपी /ट्रस्ट के बैंक खाते का विवरण • व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता प्रमाण (अनुलग्नक -III)
vi	सरकारी वीभाग	डीडीओ / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / प्रभारी व्यक्ति	प्रभारी व्यक्ति	• सरकारी विभाग का पैन • संस्था के गठन की पुष्टि करने वाला कोई दस्तावेज़ • आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) की नियुक्ति का पत्र • फॉर्म जीएसटी आरईजी - 01 के निर्देशों में निर्धारित प्राधिकरण प्रपत्र • डीडीओ/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का फोटोग्राफ • व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता प्रमाण (अनुलग्नक -III)

vii	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम	मुख्य प्रबंधक / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक	• पीएसयू का पैन • निगमन प्रमाणपत्र / संस्था के गठन की पुष्टि करने वाला कोई अन्य प्रमाण • फॉर्म जीएसटी आरईजी - 01 के निर्देशों में निर्धारित प्राधिकरण प्रपत्र • मुख्य प्रबंधक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का फोटोग्राफ • पीएसयू के बैंक खाते का विवरण • व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता प्रमाण (अनुलग्नक -III)
viii	स्थानीय प्राधिकरण या सांविधिक निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उनके समकक्ष	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उनके समकक्ष	• स्थानीय/सांविधिक प्राधिकरण का पैन • गठन/संविधान को प्रमाणित करने वाला कोई दस्तावेज़

				• फॉर्म जीएसटी आरईजी - 01 के निर्देशों में निर्धारित प्राधिकरण/प्राधिकरण-पत्र • सीईओ या समकक्ष अधिकारी का फोटोग्राफ • विभाग के बैंक खाते का विवरण • व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता प्रमाण (अनुलग्नक -III)

व्यवसाय के मुख्य स्थान के प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची

क्र. सं.	परिसर	परिसर के संबंध में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़
I	(i) स्वामित्व वाले परिसर	आवेदक के निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से कोई एक: नवीनतम संपत्ति कर रसीद की प्रति या नगरपालिका खाता की प्रति या संपत्ति की पहचान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ की प्रति या नवीनतम बिजली बिल की प्रति या नवीनतम जल बिल की प्रति
	(ii) आवेदक के मृत पूर्वज के स्वामित्व वाला परिसर, जिसके संबंध में आवेदक के नाम पर कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है	मृत पूर्वज की संपत्ति- i. मृत पूर्वज के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति और ii. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक - IV) में शपथ-पत्र और iii. आवेदक के नाम पर, ऊपर क्रम संख्या I.(i) में बताए गए दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज।
II	किराए पर या पट्टे पर लिया गया परिसर	a. जहाँ पंजीकृत किराया/पट्टा अनुबंध अनिवार्य है: • पंजीकृत किराया/पट्टा अनुबंध

		b. जहाँ पंजीकृत किराया/पट्टा अनुबंध अनिवार्य नहीं है और उपलब्ध भी नहीं है i. किराया/पट्टा अनुबंध तथा ii. पट्टादाता के नाम पर क्रम संख्या I.(i) में ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़ों में से कोई एक दस्तावेज़।
III	जहाँ किराया या पट्टा अनुबंध उपलब्ध नहीं है	i. निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-V) में आवेदक द्वारा प्रस्तुत वचन-पत्र तथा ii. उपरोक्त क्रम संख्या I.(i) में उल्लिखित दस्तावेज़ों में से कोई एक दस्तावेज़, जो आवेदक या परिसर के स्वामी के नाम पर हो।
IV	सहमति पर आधारित परिसर (जहाँ परिसर न तो स्वामित्वाधीन है और न ही किराए/पट्टे पर लिया गया है)	i. परिसर के संबंधित मालिक द्वारा निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-VI) में सादे कागज़ पर दिया गया सहमति-पत्र तथा ii. उपरोक्त क्रम संख्या I.(i) में उल्लिखित दस्तावेज़ों में से कोई एक दस्तावेज़, जो सहमतिकर्ता के नाम पर हो।
V	सह-कार्यस्थल (जहाँ आवेदक सह-कार्यस्थल प्रदाता द्वारा उस परिसर में	a. सह-कार्यस्थल सेवा प्रदाता के स्वामित्व वाला परिसर i. सह-कार्यस्थल संचालक/सेवा प्रदाता और आवेदक के बीच सदस्यता अनुबंध, जिसमें आवेदक को आवंटित भौतिक स्थान का विवरण दिया गया हो, तथा

	स्पष्ट रूप से निर्धारित स्थान आवंटित किए जाने के आधार पर, उस सह-कार्यस्थल के पते पर पंजीकरण प्राप्त करना चाहता है।)	ii. उपरोक्त क्रम संख्या I.(i) में उल्लिखित दस्तावेज़ों में से कोई एक दस्तावेज़, जो सह-कार्यस्थल सेवा प्रदाता के नाम पर हो।
		b. सह-कार्यस्थल सेवा प्रदाता द्वारा किराए या पट्टे पर लिया गया परिसर i. परिसर के स्वामी और सह-कार्यस्थल सेवा प्रदाता के बीच पंजीकृत किराया/पट्टा समझौता तथा ii. सह-कार्यस्थल संचालक/सेवा प्रदाता और आवेदक के बीच सदस्यता समझौता, जिसमें आवेदक को व्यवसाय संचालित करने के लिए आवंटित भौतिक स्थान का विवरण दिया गया हो।
VI	विशेष आर्थिक क्षेत्र	यदि व्यवसाय का मुख्य स्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है अथवा आवेदक विशेष आर्थिक क्षेत्र का डेवलपर है, तो एसईज़ेड (SEZ) के विकास आयुक्त द्वारा जारी अनुमोदन पत्र / अनुमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

अनुलग्नक -IV

जीएसटी पंजीकरण हेतु शपथ-पत्र का प्रारूप (विरासत में प्राप्त संपत्ति)

(न्यूनतम ₹100 मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक के समक्ष निष्पादित किया जाना है।)

शपथ पत्र

मैं, [आवेदक का नाम], पुत्र/पुत्री/पत्नी [पिता/पति का नाम], आयु लगभग [आयु] वर्ष, निवासी [आवासीय परिसर का पूरा पता], एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से गंभीरतापूर्वक निम्नलिखित पुष्टि एवं घोषणा करता/करती हूँ कि:

1. यह कि मैं राष्ट्रीयता से भारतीय नागरिक हूँ।
2. यह कि मैं [मृत पूर्वज का नाम] (जिसे आगे "मृतक" कहा जाएगा) का कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक हूँ, जिनका निधन [मृत्यु की तारीख] को हुआ था।
3. यह कि [जीएसटी पंजीकरण हेतु व्यवसाय के पूरे पते] पर स्थित संपत्ति (जिसे आगे "उक्त परिसर" कहा जाएगा) मृतक के नाम पर पंजीकृत थी/मृतक के नाम पर दर्ज थी।
4. यह कि उक्त परिसर पर मेरा वैध कब्जा है और मैं उक्त परिसर से M/s [व्यवसाय का नाम] के नाम और शैली में अपना व्यवसाय/एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान संचालित कर रहा/रही हूँ।
5. यह कि उक्त परिसर के उपयोगिता बिलों (बिजली/जल/संपत्ति कर) का भुगतान करने के लिए मैं उत्तरदायी हूँ।
6. यह कि उक्त परिसर से संचालित व्यवसाय से उत्पन्न होने वाली समस्त गतिविधियों एवं कर देयताओं के लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूँ।
7. यह कि यह शपथ-पत्र माल और सेवा कर प्राधिकरण के समक्ष जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है तथा इसमें उल्लिखित तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

सत्यापन

“[स्थान] पर आज [दिनांक] के दिन, [माह, वर्ष] में यह सत्यापित किया जाता कि इस शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।”

जीएसटी पंजीकरण हेतु घोषणा-पत्र का प्रारूप (किराया समझौता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में)

1. मैं भारत का नागरिक हूँ।

2. मैं M/s [व्यवसाय का नाम] का मालिक / प्रमोटर / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूँ।

3. मैं [जीएसटी पंजीकरण के लिए व्यवसाय का पूरा पता] पर स्थित जगह से अपना व्यवसाय चला रहा हूँ (जिसे आगे "उक्त जगह" कहा जाएगा)।

4. उक्त जगह [मकान-मालिक/मालिक का नाम] की है।

5. उक्त जगह के मालिक के साथ मेरा कोई औपचारिक लिखित किराया या पट्टा समझौता नहीं है।

6. मैं [माह/वर्ष] से उक्त परिसर के कानूनी रूप से कब्जे एवं अधिभोग में हूँ तथा उक्त परिसर से M/s [व्यवसाय का नाम] के नाम और शैली में अपना व्यवसाय संचालित कर रहा/रही हूँ।

7. मैं उक्त परिसर के संबंध में बिजली, पानी एवं/या अन्य लागू शुल्कों सहित उपयोगिता सेवाओं के सभी शुल्कों के भुगतान के लिए जिम्मेदार हूँ।

8. यह कि उक्त परिसर से संचालित व्यवसाय के संबंध में केंद्रीय माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत सभी वैधानिक, कानूनी एवं कर अनुपालनों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ।

9. यह शपथ-पत्र जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है।

10. मैं इस पते पर सभी कानूनी एवं कर संबंधी अनुपालनों के लिए जिम्मेदार हूँ।

11. इस घोषणा की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

सहमति पत्र का प्रारूप

दिनांक: [DD/MM/YYYY]

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए

विषय: जीएसटी पंजीकरण के लिए परिसर के उपयोग हेतु सहमति

मैं/हम, [मालिक का पूरा नाम], पुत्र/पुत्री [पिता/माता का नाम], निवासी [मालिक का पता], तथा [परिसर का पूरा पता] पर स्थित परिसर (जिसे आगे *"उक्त परिसर"* कहा जाएगा) के वैध मालिक होने के नाते, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेते हुए निम्नलिखित घोषणा करते हैं:

1. यह कि मैंने/हमने [आवेदक का पूरा नाम/व्यवसाय का नाम], जो मेरा/हमारा [संबंध, जैसे– पुत्र/पुत्री/भाई/किरायेदार/अधिकृत अधिभोगी] है, को केंद्रीय माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा उक्त परिसर से व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित करने के लिए उक्त परिसर का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है।
2. यह कि मैंने/हमने आवेदक को उक्त संपूर्ण परिसर अथवा उसके विशेष रूप से निर्धारित एवं स्पष्ट रूप से सीमांकित भाग का उपयोग करने की भी अनुमति प्रदान की है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: [सटीक विवरण दर्ज करें, जैसे– "प्रथम तल पर स्थित केबिन संख्या 3, जिसका क्षेत्रफल लगभग __ वर्ग फुट है तथा जो सीढ़ियों के दाईं ओर स्थित है", अथवा "संलग्न लेआउट प्लान में 'B' के रूप में चिह्नित कार्यस्थल क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल लगभग ___ वर्ग फुट है।"] (जहाँ लागू हो, इसे आगे "आवंटित परिसर" कहा जाएगा।)
3. यह कि, जहाँ लागू हो, आवंटित परिसर स्वतंत्र, स्पष्ट रूप से पहचान योग्य तथा आवेदक को व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित करने के लिए विशेष रूप से आवंटित है, भले ही संपूर्ण संपत्ति अन्य अधिभोगियों/संस्थाओं के साथ साझा की जाती हो।
4. यह कि केंद्रीय माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त करने तथा उससे संबंधित सभी वैधानिक अनुपालनों के लिए आवेदक द्वारा उक्त परिसर अथवा, यथास्थिति, आवंटित परिसर को अपने

मुख्य/अतिरिक्त व्यवसाय स्थल के रूप में उपयोग किए जाने पर मुझे/हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

यह सहमति मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी में, स्वेच्छा से तथा बिना किसी दबाव या अनुचित प्रभाव के प्रदान की गई है।

मालिक का विवरण:

नाम: [मालिक का पूरा नाम]

पैन: [मालिक का पैन]

संपर्क नंबर: [फोन नंबर]

मालिक के हस्ताक्षर:

नाम: [मालिक का नाम]